

हौसले का पहला कदम

राजीव नगर भोपाल के पारधी समुदाय पर होने वाली पुलिस प्रताड़ना के संदर्भ में पुलिस महकमे के साथ सुनवाई व संवाद बैठक

30 जनवरी 2008



विषय सूची

	पेज क्रमांक
आमुख	1
सुनवाई बैठक का संक्षेप	4
बयान	6
– बच्चों के बयान	6
– महिलाओं के बयान	8
चर्चा के मुद्दे	11
– पारधी समुदाय अपराधिक समुदाय है	11
– आम जनता परेशान है	12
– मानवाधिकारों और कानून के उल्लंघन पर तुरंत शिकायत क्यों नहीं होती	14
– सामाजिक संस्था अपराधियों को संरक्षण देकर पुलिस जाँचों में व्यवधान डालती है	16
– बच्चों के साथ दुर्व्यवहार	16
– महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार	19
– मानव अधिकारों के मुद्दे पर नेगोशिसन	20
– कानूनी ढांचे की भूमिका	22
माँगपत्र की प्रस्तुति व उस पर चर्चा	23
परिशिष्ट	
1. एस.पी. भोपाल को पारधी समुदाय राजीव नगर द्वारा दिया गया माँग पत्र	24
2. टिंटीबाई के आत्महत्या के दिन, जनवरी 19, 2008 के दिन – भर का घटनाक्रम	26
3. पारधी समुदाय (राजीव नगर) पर हो रही पुलिस ज़्यादतियों के संदर्भ में मुस्कान संस्था, भोपाल व कुछ स्वतंत्र विकासकर्मियों की ओर से वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को दिया गया शिकायत पत्र	28
4. अन्य जानकारी के लिए सूत्र	37

आमुख

30 जनवरी 2008, भोपाल शहर की कच्ची बस्ती राजीवनगर के रहवासी, पारधी समुदाय के 50 लोगों ने, स्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ आमंत्रित स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में, भोपाल शहर के एस.पी., ए.एस.पी. व अन्य पुलिसकर्मियों के समक्ष बस्ती व समुदाय पर नियमित रूप से हो रही पुलिस ज़्यादातियों का ब्यौरा रखा। पुलिस के साथ अपने अनुभव दर्ज करवाए, शिकायत की, न्याय मांगा।

यह एक विलक्षण सुनवाई बैठक थी।

सामाजिक और राजनैतिक पटल के हाशिये पर रहने वाले समाजों में से एक, 'आपराधिक' कहे जाने वाले पारधी समुदाय की, हौसले से भरी पहल। यह दस्तावेज इस ऐतिहासिक सुनवाई बैठक की रपट है।

पृष्ठभूमि

1871 में ब्रिटिश सरकार ने 150 से अधिक आदिवासी व अन्य जातियों को आपराधिक जाति घोषित किया था। हिंदुस्तान पर अपने शासनकाल के दौरान ब्रिटिश हकूमत के लिए इन जातियों पर जीत दर्ज कर, अपना दबदबा बनाना सबसे कठिन काम था। ऐसे में इन जनजातियों के बगावती हिम्मत को कुचलने और जंगलों पर कब्जा करने का यह सबसे आसान तरीका था। आज़ादी के बाद 1952 में हिन्दुस्तान की सरकार ने अंग्रज़ों द्वारा बनाया गया यह कानून खारिज कर दिया गया है। कानूनी रूप से ये सभी जातियाँ 'डिनोटिफाई' कर दी गईं परंतु आज भी इन जातियों पर 'अपराधिक जाति' होने की पहचान लदी हुई है। ये सभी जातियाँ आज़ादी के सालो बाद भी, राज्य, समाज और पुलिस के तिरिस्कृत व्यवहार के कारण हाशिये पर बने हुए हैं। पारधी समुदाय इनमें से एक समुदाय है। सौ साल पुराने साम्रज्यवादी रणनीति के तहत की गई इस सामाजिक व कानूनी बेदखली को आज भी पुलिस इन समुदायों को वंचित व प्रताड़ित करने के लिए आधार बनाती है। हमारे देश के कई प्रांतों में पारधियों की छोटी कुनबाई बसाहटें हैं। पुलिस इन्हें अक्सर आसपास घटने वाले किसी भी अपराध पर, 'शक के बिनाह पर' पकड़ती व प्रताड़ित करती है, उन पर ज़ोर आजमाईश करती है, उनसे आर्थिक वसूली करती है।

मध्यप्रदेश का भोपाल शहर इस संदर्भ में कोई अपवाद नहीं। भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र की राजीव नगर बस्ती का पारधी समुदाय इस बात का प्रमाण देता है। यहाँ स्थानीय पुलिस थाने व उससे जुड़े पुलिस कर्मियों द्वारा ज़्यादातियों की घटनायें आम हैं। छोटे बच्चों, लड़कियों और महिलाओं को बिना कारण के उठा लेना, कई घंटों तक थानों में बिठाये रखना, गाली-गलौच, अपमान और कई बार मारपीट भी करना और फिर पैसे लेकर रिहा करना। इस तरह यह समुदाय नियमित रूप से पुलिस के हाथों तिरिस्कृत, परेशान और प्रताड़ित रहाता है। यह सब ज़्यादातर शक के बिनाह पर किया जाता है। यह 'शक' इन व्यक्तियों की जातिगत पहचान पर आधारित है। इनका रोज़गार/काम इन्हें और कमज़ोर बनाता है।

इस बस्ती के लगभग सभी परिवार पन्नी, कबाड व कचरा बीनने के काम पर आश्रित हैं। बड़ी तादाद में महिलायें, लड़कियाँ और बच्चे सुबह-सुबह यह काम शुरू करते हैं और दिन-भर की दो से तीन फेरी में शहर के दूर-दूर इलाकों से पन्नी, पुष्ठा, कागज़, टीन, लोहा बिनकर लाते हैं, उन्हें छांटते हैं और उन्हें बेचकर अपना घर चलाते हैं। इस प्रकार माल की तलाश में इन्हे जगह-जगह घूमना-फिरना पड़ता है। इसके साथ ही समुदाय के कुछ परिवार, पारम्परिक तौर पर धागा, अंगूठी, सिंदूर आदि की स्थानीय बाज़ार व दूर दराज़ के मेलों में दुकान लगाने का काम भी करते हैं। यहां

लड़के-लड़कियां लगभग चार वर्ष की उम्र से कचरा बीनने का काम करने लगते हैं। बच्चों व किशोर लड़कियों के साथ समुदाय की ज्यादातर महिलायें भी यही काम करती हैं। पुलिस इनके इस घूमने को आधार बनाती है, उन पर शक करने और उन्हें परेशान करने के लिए। इस समुदाय के व्यक्तियों की धरपकड़, पूछताछ, छानबीन और उनके साथ थाने में होने वाले बर्तावों में महिलाओं और बच्चों से जुड़े हर कानूनी प्रावधान को ताक पर रखा जाता है।

पिछले 6 सालों से राजीव नगर बस्ती के बच्चों बीच काम के दौरान मुस्कान कार्यकर्ताओं के देखने में भी आया कि बच्चों को अक्सर स्थानीय पुलिस परेशान करती है, पकड़ लेती है, मारती, पीटती, धमकाती है, और रूपयो की मांग करती है। स्वास्थ्य व बचत की चर्चाओं में महिलायें भी यही अनुभव बताती हैं। इन घटनाओं के संदर्भ में मुस्कान कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय कमला नगर व टी.टी. नगर थाना जाकर बातचीत की व बच्चों एवं महिलाओं के साथ इसप्रकार की जबरदस्ती, गैर कानूनी बर्ताव पर सवाल किए, जिस पर हर दर्जे के पुलिसकर्मी का लापरवाही भरा जवाब यही होता कि -'ये पारधी तो चोर हैं, क्यों इतनी हिमायत करते हो।'

इन घटनाओं से बच्चों के पढ़ने की कोशिशों में लगातार रूकावट आती है। बच्चों में डर, निराशा या ढिंढाई दिखाई देती है। परिवारों की आमदनी का बड़ा हिस्सा पुलिस की रिश्वत में खर्च हो रहा है। पुलिस के पास जाने वाले पैसे की भरपूरि भी बच्चों को ही काम करके करनी पड़ती हैं। पुलिस के साथ किसी भी घटना के बाद, प्रताड़ित परिवार के बच्चे कई दिनों तक डर के कारण पढ़ने नहीं आ पाते। महिलायें तिरस्कृत महसूस करती हैं। ये सारे हालात समुदाय को पिछड़ेपन से निकलने से रोकते हैं, उन्हें कमजोर बनाते हैं, उनके सपने तोड़ते हैं। उन्हें मुख्यधारा-समाज का हिस्सा बनने से रोकते हैं, अलग खड़ा रखते हैं और अपराध की तरफ खदेड़ते हैं।

पिछले साल तीन नाबालिग बच्चियों को पूर्णतः गैर कानूनी तरीके से पकड़ने, थाने में रखने, मारपीट करने, बिना जानकारी दिये कागज़ों पर दस्तखत कराने की टी.टी. नगर थाने में घटी, घटना पर बस्ती, समुदाय व मुस्कान कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। इस मुद्दे से कुछ स्वतंत्र विकासकर्मी भी जुड़ गए। इस घटना की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायत भी की। (दिनांक 31.03.07 को आई.जी., भोपाल व ए.डी.जी. (सी.आई.डी.) को दिये पत्र परिशिष्ट-3 में संलग्न हैं) परन्तु न कोई कार्यवाही हुई और न ही पुलिस के व्यवहारों में बदलाव नज़र नहीं आया।

बस्ती में बच्चों, लड़कियों, महिलाओं और पुरुषों को प्रताड़ना, रिश्वत की माँग और मोटे रकम ऐंट कर छोड़ देने के तरीके पुलिस की ओर से खुले आम जारी है।

पुलिस द्वारा इस प्रताड़ना की नियमितता और उसके तरीकों के चलते इस समुदाय के रहने, काम करने और आगे बढ़ने की संभावना पर लगातार चोट होती है। निरंतर भय के वातावरण में रहने के कारण समुदाय के, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर है। बच्चे इससे खास पीड़ित हैं। 19 जनवरी 2008 को इन हालातों का परिणाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में सामने आया। बस्ती की निवासी 16 वर्षीय लड़की टिंटीबाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस दिन सुबह टिंटीबाई व उसकी सत्रहवर्षीय भाभी को पुलिस ने शक के बिनाह पर पकड़ा, थाने में घंटों बिठाये रखा, उन्हें मारा, छेड़छाड़ व बदतमीज़ी की और रिश्वत लेकर छोड़ा। टिंटी बाई के साथ पिछले वर्ष भर में यह ऐसी तीसरी घटना थी।

इस घटना से आक्रोशित समुदाय उसी रात स्थानीय कमला नगर थाने पर इकट्ठा हुआ। उनके साथ संस्था मुस्कान के कार्यकर्ता व बस्ती में स्वास्थ्य व मानवधिकार मुद्दों पर काम कर रहे स्वतंत्र विकासकर्मी भी शामिल थे। जानकारी मिलने पर निकट की बस्तियों, गंगा नगर, मोची

मोहल्ला और बापू नगर के महिला-समूहों की सदस्य, शहर के जनाधिकार संगठनों युवा संवाद, म. प्र. महिला मंच और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सदस्य भी चिंता व समर्थन जताने थाने पहुँचे। समुदाय के लोगों ने टिंटीबाई के साथ उस दिन हुए दुर्व्यवहार पर कारगर कार्रवाई की मांग की।

समुदाय ने माँग रखी कि भोपाल शहर के एस.पी. स्वयं थाने पर आयें और स्थिति की ज़िम्मेदारी लेते हुए पारधी समुदाय पर हो रही लगातार ज़्यादातियों पर रोक लगाने का आश्वासन दें। अंततः एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद थाने पर पहुँचे और घटना की जाँच महिला अधिकारी से करवाने के आदेश दिये। उन्हें 30 जनवरी 2008 को पुलिस प्रांगण में पारधी समुदाय पर हो रही प्रताड़ना पर जनसुनवाई आयोजित करने के लिये राजी किया गया।

तत्पश्चात पारधी बस्ती (राजीव नगर) में समुदाय ने आपस में लगातार संवाद किया। हर बैठक खुलकर आप-बीती सुनाने और न्याय की माँग करने की हिम्मत को प्रशस्त करती गई। राजनैतिक संगठन, बस्ती में रहने वाले मध्यस्थ, कई लोगों ने इस हिम्मत को कमजोर करने का प्रयत्न किया, परंतु बच्चे, लड़कियाँ, महिलायें और कुछ पुरुष भी सुनवाई में शामिल होने की बात पर डटे रहे।

सुनवाई की तैयारी के लिए समुदाय के प्रतिनिधि, मुस्कान कार्यकर्ता व कुछ स्वतंत्र विकासकर्मी एस. पी. कार्यालय से संपर्क में रहे। एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद ने हर प्रकार की सुनवाई के लिए अपनी रज़ामंदी और समर्थन जताया। समुदाय की ओर से बात रखते हुए कहा गया कि यह मुद्दा संवेदनशील है, पारधी समुदाय सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक रूप से कमजोर है और पिछले दो वर्षों में म.प्र. के बैतूल और होशंगाबाद जिले में पारधी समुदाय के घरों को जलाए जाने और लोगों की हत्या जैसी बड़ी घटनायें घटी हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर खुली जनसुनवाई करना, पहले से कमजोर समुदाय को और खतरे में डाल सकता था, अतः आपस में विचार कर यह तय किया गया कि यह पहली बैठक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कुछ आमंत्रित स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के मध्य हो। सरकारी जगहों पर हाशिये पर रहने वाले नागरिकों के हक को स्थापित करने की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम को सुनवाई-बैठक के लिए उपयुक्त स्थान पाया गया।

सुनवाई बैठक का संक्षेप

यह सुनवाई बैठक एक पहल है। जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से कमज़ोर और लगातार दमित समुदाय, सीधे-सीधे दमनकर्ता संस्था से संवाद करने के लिए आगे आया, ये माँग रखने आया कि उसके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव हो। पुलिस और जनता के मध्य बन रही अधिकतम साझेदारियाँ साधन संपन्न रईसों या वाक्कुशल मध्य वर्ग के साथ हैं, यहाँ इस जनता को सुरक्षा प्रदान करने की भूमिका में पुलिस कैसे कारगर हो – यह एक गंभीर मुद्दा है। परंतु ये मुद्दा जिस तरह की सीमितताओं में देखा जाता है उसके कारण जनसामान्य, इन गरीब लोगों के हकों पर हावी होता है, पन्नी बीनने, फेरी करने वाले, आदि आमजनों को रोकने दबाने में परिवर्तित होता है।

इस सुनवाई-बैठक ने कई मायनों में इस स्थिति को तोड़ा है। यह संभवतः पहली बार है कि राज्य में पुलिस व्यवस्था के आला अफसर और पीड़ित समुदाय के महिला-पुरुष बच्चे एक मंच पर आए और जाति विशेष 'पारधी' होने के कारण घटने वाली प्रताड़ना को रोकने हेतु संवाद किया। एक ओर पुलिस मकहमे ने संजीदगी और खुलेपन से अपनी व्यवस्था व व्यावहारगत दिक्कतों को समझने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर अपने संवैधानिक हकों, सुरक्षा के लिए हिम्मत, आत्मसम्मान और परिपक्वता से पारधी समुदाय के लोगों ने बयान, सवाल और मांगें रखीं।

सुनवाई-बैठक में पारधी समुदाय के बच्चे, लड़कियाँ, महिला और पुरुष कुल 50 व्यक्ति शामिल हुए। उनके साथ मुस्कान संस्था भोपाल के कार्यकर्ता, बस्ती में लम्बे समय से जुड़े स्वतंत्र विकासकर्मी शामिल हुए। पुलिस मकहमे की ओर से एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद, ए.एस.पी. श्री जी.के. पाठक, टी.टी.नगर क्षेत्र के सी.एस.पी. श्री धर्मवीर सिंह, कमला नगर थाने के टी.आई. श्री गोरैया उपस्थित थे।

पुलिस कार्यालय से सामाजिक कार्यकर्ता, सुश्री चंदना अरोड़ा को भी आमंत्रित किया गया। बैठक की संजीदगी को ध्यान में रखते हुए कुछ वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति को बतौर स्वतंत्र पर्यवेक्षक आमंत्रित किये गए। इनमें शिक्षाविद् अनिल सद्गोपाल, मीडियाकर्मी श्री पलाश सुरजन, राष्ट्रीय ज्यूडिशियल अकादमी भोपाल में शिक्षक श्री मृणाल सतीश व सुश्री अपर्णा पाठक, मुस्कान की उपाध्यक्ष सुश्री सोनिया रशीद शामिल हुए। सूचना पाकर दिल्ली स्थित डीनोटिफाईड, सेमीनोमैडिक व नोमैडिक ट्राईब्स के राष्ट्रीय आयोग की सदस्य समाजशास्त्री डॉ. मीना राधाकृष्णन भी बैठक में शामिल हुयी। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग से श्री ऋतुराज, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी बैठक में आये।

सुनवाई-बैठक के मुद्दों की संवेदनशीलता और समुदाय पर किसी प्रकार के प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की आशंका के मद्देनज़र यह तय किया गया कि इस पहली बैठक में मीडिया को आमंत्रित न किया जाए।

सुनवाई के तहत समुदाय के 6 से 12 वर्ष के बच्चों ने उनके ऊपर घटने वाली गाली गलौच, मारपीट, डराने धमकाने की घटनायें सुनाईं। महिलाओं ने क्षेत्र के दोनो थानों के पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, उठा ले जाने, बैठाए रखने, पूछताछ, तलाशी, बद्तमीजी, मारपीट और यौन हिंसा की घटनाएँ बतायीं। सभी ने पुलिस द्वारा खुले आम और धमकी के साथ रिश्वत की माँग की घटनाएँ बतायीं। बच्चों व महिलाओं ने बताया कि आस-पास के कालोनी व बिल्डिंग के लोग उन्हें कई बार सुबह धंधे के वक्त पकड़ लेते हैं, मारपीट करते हैं और पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहती, बल्कि इन्हें ही पकड़ कर ले जाती है।

बयानों के बीच कई मुद्दों पर बहसें हुईं। अंत में पर्यवेक्षकों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ रखीं। सभी ने पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाओं की सत्यता को स्वीकार किया, इस पर गहरी चिंता ज़ाहिर की और पुलिस मकहमे से इसे स्वीकार करते हुए, इस पर तुरंत कार्यवाही करने की माँग रखी।

सभी ने माना कि ये घटनायें सरासर कानून का उल्लंघन व संवैधानिक और मानवाधिकारों का हनन हैं। बच्चों व महिलाओं के साथ की घटनायें तो शर्मनाक हैं। श्री अनिल सद्गोपाल(शिक्षाविद्) को बच्चों पर हो रही प्रताड़ना और उनकी मासूमियत को एक खास जातिगत पहचान के कारण कुचड़ते हुए देखकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने इस पुरे मसले पर दुख व्यक्त किया। डीनोटिफाईड ट्राईब्स आयोग से आयी सदस्य ने 'आपराधिक जाति' या 'आदतन अपराधी' धारणाओं व जुमलों के उपयोग पर सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनके आयोग के समक्ष देश भर से ऐसे मसले आते हैं लेकिन लड़कियों और महिलाओं के साथ इतने बड़े पैमाने पर पुलिस प्रताड़ना की बात उन्होंने पहली बार देखी है। यह लिंगभेद और बाल अधिकारों जैसे गंभीर मुद्दे भी जोड़ देता है। ज्यूडिशियल अकादमी से आये न्यायविदों ने अन्य नागरिकों द्वारा पारधी बच्चों, लड़कियों के साथ मारपीट जैसे जघन्य अपराधों की अनदेखी को गैर कानूनी बताया और इस पर रोक लगाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

बच्चों के बयान –

संनी¹, लड़का, 12 वर्ष

घर से बोरी लेकर निकला, राज होटल पर चाय पी। वहाँ पर दो पुलिस वाले भी चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद दोनों ने मुझे बुलाया और कहा कि तूने भगोने चुराये हैं। गाड़ी मंगाई और पुलिस थाने में ले गये, वहाँ पर बस्ती की वीराबाई नाम की औरत बैठी थी, उसे मारा और फिर मुझे चार पुलिस वाले ने टेबल पर लिटा दिया और डंडे से पीठ, टॉग और फुट्टे पर मारा और कहा कि जल्दी बयान दे दे नहीं तो और मारूँगा। फिर मुझे और वीराबाई को बस्ती लाया और लोगों के नाम व घर बताने को कहा। मैं तो चोरी के बारे में जानता ही नहीं था। वीराबाई ने जो नाम बताया, वही नाम मैं भी बताता गया। बस्ती में जब मुझे बचाने मेरी माँ आई उसको पटेल ने धक्का दिया और एक चांटा भी मारा, और फिर वापस थाने ले गये। मेरी माँ से पटेल ने 10,000 रुपए की माँग की। अगर नहीं दिये तो तुम्हारे बच्चे पर हम और चोरी का केस लगा देंगे, जेल भेज देंगे। 5,000 रुपए में तोड़ होगा और पेशी पड़ेगी। सक्सैना ने भी कहा कि इससे कम नहीं होंगे ओर पटेल को दे देना।

मेरी माँ टेंट वाले को बुलाकर लायी जहाँ से बरतन की चोरी हुई थी। टेन्ट वालों ने भी कहा कि बच्चों को छोड़ दे। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारा काम हो जायेगा। पुलिस थाने के अंदर पुलिस क्या करेंगे, ये हमारी मर्जी, तुम जाओ। थाने के अंदर मेरी माँ ने 12-15 पुलिस वालों को टंडा, चाय, काफी, नाश्ता दिया, और पुलिसवाले को 5,000 रुपए भी दिये।

मैं थाने में बैठा था तो पुलिस वाले आते-जाते लात मारते और कहते थे हीराबाई का लड़का है तो चोरी तो करता होगा, खिड़की में से घुस जाता होगा। पहचान वाले ही आगे रह कर चोरी करवाते हैं। ऐसा बोले और जी भरके गाली भी दिये।

सुकेश, लड़का, 9 वर्ष

सुबह-सुबह 6 बजे मैं और दो दोस्त कचरा बीनने डिपो चौराहे जा रहे थे। (तीनों 9 से 10 साल के हैं।) और कबाड़ा बीन रहे थे। पुलिस की गाड़ी आई और पुलिसवाले ने कहा कि तुम पारधी हो और घरों की खिड़कियों से घुस कर चोरी करते हो। हम लोग भागे, तो हमको पी.एन.टी. चौराहे पर पकड़कर ले गये। हमको सरिया से मारा। और उन्होंने वहीं पर तीनों बच्चों को मारा। फिर उनमें से एक आदमी तीनों को गाड़ी में बिठा कर एक घर में ले गए। उस घर में रहने वाले आदमी ने कहा कि यहाँ से तुम चोरी करते हो, तुमने अभी पंखा चुराया है और उस आदमी ने लकड़ी से मारा और कहा कि ठहरों मैं अभी तुम्हें कुत्ते से कटवाता हूँ। तभी वहाँ पर एक और आदमी आया जो लाल शर्ट पहने हुआ था। उसने भी हमें थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। तभी हमारा एक दोस्त मौका देखकर भाग गया। फिर पुलिस वाले ने हम दोनों को टी.टी. नगर थाने ले आए और वहाँ भी पुलिस के बेल्ट से मारा और थाने में एक रात रखा। रात का खाना लेकर मम्मी आई थी लेकिन

¹ बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रपट में उनके नाम नहीं दिये जा रहे हैं। और सभी नाम बदले गए हैं। पुलिसकर्मियों के नाम भी बदले हुए हैं। फिर भी यदि इससे ज्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो इन लोगों से मिला जा सकता है।

मम्मी से मिलने नहीं दिया। दूसरे दिन मेरी और मेरे दोस्त की माँ दोनों आई और पुलिस ने 500 रुपए लेकर छोड़ दिया।

संजना, लड़की, 8 साल

सुबह 8 बजे की बात है। मेरी दो दोस्त (10 और 15 साल की लड़कियाँ) और बस्ती की औरत (35 साल) – हम लोगों को नया बसेरा चौराहा पर पुलिस वाले ने पकड़ा और कहने लगे कि तुमने चोरी की है। हमने कहा कि हमने कोई चोरी नहीं की है, हम तो अभी ही बीनने निकले हैं, नहीं तो हमारी बोरी देख लो। बोरी देखने के बाद बोरी में कुछ नहीं मिलने पर भी बोले गाड़ी में बैठ। मुझे एक चांटा मारा और गन्दी गाली देने लगा, बहन की लवड़ी, छिनाल, माँ की लवड़ी, और भी गन्दी गाली दी और कहने लगे कि तुम लोग बरतन सामान उठाकर लाते हो और कहते हो कि हमने कुछ नहीं किया। हमको कमला नगर थाने ले गये और कहा कि 3,000 रुपए दो तभी तुम लोगों को छोड़ेंगे। हमने कहा कि इतने पैसे कहाँ से लाए तो कहने लगे कि पैसे नहीं दोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। और फिर ज़्यादा मारने लगे, फिर मैं और काजल घर पैसे लेने गई। हमने 3,000 रुपए दिये और हमारा नाम पता लिखकर छोड़ दिया।

लता, लड़की, 10 वर्ष

दो तीन महीने पहले कि बात है। मैं और मेरी मम्मी सुबह 8 बजे पन्नी बीनने जवाहर चौक की तरफ गये। वहाँ पर कचरे का ढेर था, जो बागूड़ से घिरा हुआ था। जिसमें बिल्डिंग वाले कचरा फेंकते हैं। बागूड़ के अन्दर दूध की पन्नी और डिब्बे पड़े हुये थे, जिनको उठाने के लिए मैं बागूड़ के अन्दर गई तो बिल्डिंग के दो तीन भैया लोग आकर मुझे पकड़कर मारने लगे। बोले – ऐ लड़की तूने चोरी की है। मैंने उनसे कहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैं तो दूध की पन्नी और डिब्बे उठाने बागूड़ के अन्दर गई थी। तो भी उन लोगों ने मेरी एक बात को भी नहीं सुना, और मुझे मारा और पुलिस थाने में फोन लगाकर, पुलिस वालों को बुलाकर कहा कि ये लड़की चोरी कर रही थी। मैंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने दूध की पन्नी उठाई है, तब पुलिस वाले ने मुझे वहीं मारना शुरू कर दिया, और मुझे और मम्मी को टी.टी. नगर के थाने में लेकर आ गये। थाने में लाकर और मारा और कहने लगा कि पीतल के भगोने चुराये, बहन की लवड़ी, माँ की लवड़ी, सामान चुराते हो और कहते हो कि कुछ नहीं चुराया। हमको रात 10:00 बजे तक वही बिठालकर रखा, वहीं शराब और जुआ खेलकर हमको गाली देते रहे। फिर फोन करके महिला पुलिस को बुलाकर हमको महिला थाने में भेज दिया। दूसरे दिन कोर्ट में ले गए, वकील ने कहा कि 1,000 रुपए दे दो, मैं ज़मानत करा दूँगा।

टीका, लड़की, 7 वर्ष

मैं और मेरे साथ मेरी दो सहेली थी। हम मन्दिर के पास खेल रहे थे। पुलिस वाले आए और कहने लगे – तुमने भगोने चुराये हैं, चलो थाने। हमने कहा – हमने चोरी नहीं की। पुलिस वाला बोला नहीं तुम लोग चलो थाने पुलिस वाले बाईक पर थे और हमसे कहा हमारे पीछे-पीछे आओ। फिर कहने लग चलो हमारे आगे-आगे चलो और थाने ले गया और बिठा दिया। हमने कहा – हमने चोरी नहीं की और रोने लगे तो पुलिस वाले ने कहा – चुप बैठो नहीं तो बन्दूक मार दूँगा। फिर

भी हम चुप नहीं हुए, तो पुलिस वाला कहने लगा चुप बैठो नहीं तो रपाटा मार दूँगा और ऐसा कहा कि पैसे दो जब छोड़ेंगे। मेरी नानी ने 1,000 रुपए दिये, फिर छोड़ा।

मखन, लड़का, 12 वर्ष

मेरे घर में कोई नहीं था मेरे बाप—माँ गाँव गये थे। मैं स्कूल पढ़ने गया था। नया बसेरा स्कूल। मेरे घर का ताला तोड़ दिया। पुलिस वाले आए और दो क्विटल गेहूँ और साईकिल निकाल कर ले गये।

महिलाओं के बयान

फूलबाई, महिला, 35 वर्ष

हम तीन औरते और एक बच्चा सुबह 6 बजे बीनने गए। बीनने के बाद हम लोगों ने बारिश के कारण चाय पीने का सोच ही रहे थे कि पुलिस वाले ने आकर कहा कि तुम लोगो को बड़े साहब ने बुलाया है। तुम लोगो से पूछताछ करके छोड़ देंगे। हमने कहा कि हम लोगो ने तो कुछ किया ही नहीं है। पुलिस वाले ने हम लोगो को थाने में बाथरूम के पास ले जाकर बिठाल दिया। मैं बोली — मेरी तबियत खराब है, बाथरूम से बदबू आ रही है। हम लोगो को जाने दो। तब पुलिस वाला कहने लगा कि — बहन की लवड़ी बहुत ज्यादा मुँह चला रही है। और मुँह में एक चाटा मारा जो अभी तक दर्द करता है। कहने लगा कि — बहन की लवड़ी चोरी करते हो और कहते हो कि चोरी नहीं की। फिर वो हमको अलग—अलग करके लगातार पूछा कि — चोरी का माल कहाँ रखे हो? वहाँ पर पुलिस वाले ने मेरे हाथ पर आलपिन को रखकर डन्डे से मारा। तब मुझे बहुत दर्द हुआ तो मुझे गुस्सा आया कि क्यों मुझे मार रहा है। मैंने उसको चिल्ला के बोला — चाकू या तलवार लेकर आ, नहीं तो मुझे लाकर दे दे, मैं तुझे मारु और मैं उसके सामने खड़ी हो गई। तो कहने लगा — तुझे क्या हो गया है, अब तो ये डाकन हो गई है। मैं गुस्से से भरी हुई थी, मैंने उसको बोला — हाँ मैं डाकन हो गई हूँ। अब मैं तुझे खाऊँगी। फिर उसने मुझे मारना बंद किया। फिर शाम को चारों के घरवालो ने 2,000 रुपये दिये और हमारे घरवाले हमको छोड़ाकर लाये।

नीलाबाई, महिला, 26 वर्ष

मैं और मेरे साथ में मेरी दो बहनें, हम लोग घर से बीनने जा रहे थे। रास्ते में हम लोगो को लेटरिन आयी तो मेरी दो बहनें लेटरिन करने बैठ गईं और मैं रोड पर आकर बैठ गई। दो पुलिस वाले आये। उनके हाथ से बंदूक थी और वो लोग कहने लगे — चोरी कर रही हो और फोन करके पुलिस वालों की गाड़ी बुला लिया और कहने लगे — बहन की लवड़ी चोरी करके मान नहीं रही हो और गाड़ी में बिठालकर थाने में लेकर आ गये। मुझे जूते पहने पैरो से ही पुलिस वाले ने मुझे लात मार दिया। मुझे तीन महीने थे, मैंने कहा कि — मैं पेट से हूँ मुझे क्यों मार रहा है? हम लोगो को दो दिन तक रखा। जब मम्मी पाँच हज़ार रुपये लेकर आयी, उसके बाद ही कमलानगर थाने लेकर गये, फिर 12 दफ्तर (एस.डी.एम. ऑफिस) से छोड़ा।

बन्नो बाई, महिला, 25 वर्ष

सर्दी के दिनों में सुबह-सुबह, मैं और भाभी बीनने जा रहे थे, अंधेरा था। कमला नगर थाने के दो पुलिस वाले हीरोहोण्डा से आये, सुबह-सुबह सड़क पर कोई नहीं था। हमको खड़ा करके बोलने लगा – इतना खूबसूरत शरीर दिया है, तुम लोग कागज़ पन्नी बीनने क्यों जाती हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती हो। और मेरी भाभी का दुप्पटा पकड़ कर खींच दिया। एक ने बोला –इसको पकड़ बहन की लवड़ी भागे नहीं। हमने कहा – हम मेहनत करके खाते हैं और हम वहाँ से जाने लगे तो वो हमारे पीछे-पीछे आने लगे ओर डंडा निकालकर कहने लगा – यहीं खड़े रहो, और दो तीन डंडे भाभी और मुझको मारा और कहने लगा – 'तुम लोग गाड़ी में थाने चलो। हमने कहा – जब हमने कुछ किया ही नहीं तो क्यों चले थाने। तो कहने लगा – तुम लोग चोरी करते हो। हमने कहा – हमने नहीं किया तो क्यों चले थाने, बोला – तुम अंधेरे में चोरी करने जाते हो। हमने कहा – हम दिन में ही तो जाते हैं। फिर वो लोग चले गये। दिन में कबाड़ी की दुकान में आकर मेरी भाभी से कहने लगा – कभी तो मेरे हाथ आओगी। उसके मुँह पर तिल है, अभी नया आया है। वो आदमी हरदम मेरी भाभी पर बुरी नज़र रखता है। हमें धमकाता है।

(एस.पी. का प्रश्न – शिकायत क्यों नहीं करते?, इस पर उत्तर देते हुए कहा)
शिकायत के लिए डर लगता है। थाने पर जब बड़े-बड़े लोग आते हैं, एस.पी. आता है, हम लोगो को अन्दर जाने नहीं देते, और कहते हैं – बहन की लवड़ी बाहर ही रहो। मेरी भाभी तो इतना डर गई कि हम लोग उसको आष्टा गाँव भेज दिये।

बीमाबाई, महिला, 35 वर्ष

राजीव नगर बस्ती में 25-30 वर्षों से रह रहे हैं। अपने बच्चों के साथ पन्नी बीनने का काम करती हूँ। मेरा घरवाला बीना हुआ माल की छंटाई में मदद करता है। हार, अंगूठी, धागे आदि सामान की दुकान मेले में चलाता है। उसकी आमदनी रोज की नहीं है और ज़्यादा खर्चा मैं और बच्चे ही चलाते हैं।

(अक्टुबर 2007 की घटना) आदमी एक हफ्ते की मेले की कमाई से 3,000 रुपए घर कमा कर लाया। हम दोनों ने मोबाइल खरीदने का सोचा और बस्ती के दो और लोगो के साथ नेहरू नगर की दुकान पर गये।

थाने के कुछ पुलिस वालों ने हमको दुकान पर ही रोका और कहा तुम्हारे पास जो पैसा है वह चोरी से कमाया हुआ है। सब को पकड़कर टी.टी. नगर थाना ले जाकर बन्द कर दिया। घर जाकर तालाशी ली। उस समय मेरी सबसे छोटी बेटी घर पर थी। उन्होंने उल्ट-पुल्ट कर मेरे घरे की तालाशी ली। मैंने कोई चोरी नहीं की थी और उनको मेरे घर में कुछ नहीं मिला। उन्होंने मेरी बेटी की घड़ी ली जो मैंने दीपावली में 150.00 रुपए में खरीदी थी। और उन्होंने नकली माला और बुन्दें भी उठा लिये जो मैंने 60.00 रुपए में दूसरी बेटी के लिए राखी पर खरीदा था। मेरी पेट्टी में से 2,200 रुपए भी ले लिये जो सफेद बटवे में मैंने बचत करके रखे थे। घर की स्टील की बाल्टी भी ले जा रहे थे।

हमने उनको कहा भी – हमारा रिकार्ड चेक कर लीजिये, हमने चोरी नहीं की है। हम चोरी का काम नहीं करते। पुलिस वालों के पास हमारा आज तक कोई रिकार्ड नहीं है। थाने वाले ने जवाब दिया – आज तक रिकार्ड नहीं है, अभी बनाएंगे, तभी तो बनेगा। हमारे थाने में क्या चीज़ नहीं है,

लगा देंगे तुम्हारे नाम पर केस, चाकू का लगा दें, चोरी का लगा दें, रिकार्ड बनाने में क्या। वो हमको लाठी से पीठ पर टाँगों पर मारने लगे। थप्पड़ भी मारे थे। और बुरी-बुरी गालियाँ दी।

“तेरी माँ की गांड ले, ले। तेरी बहन की गांड ले, ले।” बोलने लगे, और मारने लगे। जब हमने कहाँ माँ बहन की गाली मत-दो तुम्हारी माँ-बहने नहीं है जो ऐसी गाली बोलते हो। हमारे ऐसा बोलने पर, और मारने लगे। पाँच हजार रूपए की माँग करी। मेरी बेटी और भाई ने अलग-अलग जगह से पैसे उधार लिए और फिर हम रात को छूटे। इस तरीके से हमारे 7,000 रूपए से ज़्यादा पैसे चले गए।

बहुत बारी बीनते हुए पुलिस वाले रोक लेते हैं। गाली देकर ही बात करते हैं – माँ की लोड़ी, सुबह-सुबह क्या चुदवाने आ गई है। नहा धो कर आती। गाण्ड, एक बार क्या हमको देती है।

इस रपट में उतने ही बच्चों और महिलाओं के बयान दर्ज हैं जिन्होंने बैठक के दौरान अपनी बात रखी थी। कई और लोगों (बच्चों, महिलाएं और पुरुषों) के साथ ऐसी घटनाएँ घटी हैं, लेकिन समय की सीमितता के कारण उनके बयान दर्ज नहीं किया गया।

चर्चा के मुद्दे

बच्चों व महिलाओं के बयानों के दौरान कई मसलों पर सवाल जवाब हुए, चर्चायें छिड़ी जिन पर बहस हुई। पुलिस का नज़रिया प्राथमिक तौर पर समुदाय को 'चोर समाज' व 'अपराधिक' मानने का है, जिसके कारण बयानों पर प्रश्नोत्तर भी इसी शंका भाव से हुए। समुदाय की महिलाओं व बच्चों ने बड़े हौसले से अपनी बात रखी, साफ-साफ कहा कि – "जो अपराधी है उसे पकड़ा जाये, सारी जाति कैसे अपराधी हो सकती है।" सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि – अब्ल तो समुदाय अपराधी नहीं होता है, इनके खिलाफ यह एक प्रबल मानस है। यदि कोई अपराध करता है तो उसे कानून के दायरे में रहते हुए, पूरे संवैधानिक हकों के साथ ही पकड़ा और पूछा जा सकता है। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के परिपक्व दृष्टि से चर्चाओं को स्पष्टता और निष्पक्षता मिली। उन्होंने अपने-अपने अनुभवों के आधार पर सभी घटनाओं को, प्रत्येक नागरिक के कानूनी, संवैधानिक व मानवाधिकारों के दायरे में रखा और हर हालत में समुदाय की सुरक्षा का मत रखा। आपसी समझ और चर्चा के लिए इससे महत्वपूर्ण दिशा मिली। मुख्यतः निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

पारधी समुदाय अपराधिक समुदाय है

बच्चों महिलाओं के साथ होने वाली बदतमीजी मारपीट के संदर्भों पर जब बेहद चिंता जताई गई तो पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए ज़ोरों कहा कि—यह समुदाय ही आपराधिक है। इसका ज़िक्र तो गैज़िट में भी मिलता है, ये छोटे-छोटे बच्चों से भी चोरी करवाते हैं। चर्चा के दौरान यह स्पष्ट नज़र आया कि चूंकि बयान देने वाले बच्चे और महिलाएं एक विशेष जाति की हैं इसलिए उनके अनुभव और शिकायतों पर पुलिस महकमा खास गहराई में नहीं जाना चाहता है। पारधी हैं तो अपराध किया ही होगा, बयानों में कहे गए सभी दुर्व्यवहारों पर ना कोई प्रश्न उठा और न ही कोई हैरानगी हुई।

पुलिस की इस मानसिकता और इस सुविधा को स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने आड़े हाथ लिया। 'क्रिमिनल ट्राइब' इस शब्द के उपयोग को गैर कानूनी बताया और लोगो कि इस मानसिकता पर पुलिस महकमे की मुहर को खतरनाक बताया। इस पर लम्बी चर्चा चली कि व्यक्ति अपराधी हो सकता है, कुनबा या समुदाय नहीं। बस्ती की महिलाओं ने बहुत रोष के साथ कहा – "हमारे बच्चों को बार-बार पकड़ते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे में उनकी ढिंढाई बढ़ती है, आदमी को कोई रोजगार करने नहीं देते हमारी ही जाति के पीछे क्यों पड़े हैं? हम बुधवार हाट से मुर्गी खरीदते हैं या मिया-बीबी के लिए दारू ले तो भी क्या जुर्म कर रहे हैं। बस बाजार से पकड़ लेते हैं और लूटते हैं।"

चर्चा में इस संदर्भ पर बात हुई की समुदायों का यह नामांकन अंग्रेज़ी शासन काल का है (जिसे भारत सरकार ने निरस्त कर दिया है।) और इन समुदायों के पिछड़े बने रहने का प्रमुख कारण, पूरे समाज और व्यवस्था के द्वारा इन्हे अपराधिक मानते हुए तिरस्कृत करते रहना है।

इस दौरान यह प्रश्न आया कि क्या अपराध या जेल के आंकड़े ये साबित कर सकते हैं कि बड़ी संख्या में पारधी ही अपराधी हैं? ज़्यादातर घटनाओं में पुलिस उन्हें पकड़ती है और पैसे लेकर, थाने से 109 की धारा लगाकर या धमका कर छोड़ती देती है।

चर्चा में मज़बूती से कहा गया कि समुदाय अपराधी नहीं होता, व्यक्ति होते हैं, जैसे हर समुदाय में होते हैं। अतः किसी बस्ती की पूरी आबादी को जाति के आधार पर पुलिस का परेशान करना

सरासर गैर कानूनी है व तुरंत रोका जाना चाहिये। जो अपराधी है उसे पूर्णतः कानून के दायरे में रहते हुए कानून की प्रक्रिया से सजा दी जानी चाहिये।

“ये मामला सामाजिक ज्यादा है, अपराध का कम है। अगर हम किसी समुदाय के साथ बातचीत इस तरह करते हैं कि ये समाज अपराधिक समुदाय है तो हमारी शुरुआत में ही गड़बड़ है। पारधी समुदाय के साथ भी ये पूर्णतः लागू है।”

श्री अनिल सदगोपाल, शिक्षाविद्

“इन घटनाओं के बारे में सुनकर मैं बहुत चिंतित हूँ। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश में। मैंने इस सत्र में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर ध्यान दिया है और मुझे कई शब्दों व जुमलों पर सख्त विरोध है। इस समुदाय के लिए ‘हैब्युचल क्रिमिनल’ ‘क्रिमिनल ट्राइब’ और ‘इन जैसे हैब्युचल क्रिमिनल’ जैसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया गया है। इस तरह के जातिगत ठप्पे अपने आप में और संविधान के तहत गलत है। सांसी, बाबरिया, कंजर, पारधी आदि सभी जातियों के लोगों को क्रिमिनल ट्राइब कहकर सम्बोधित करना कानूनी गुनाह है। इसे एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत गुनाह माना जा सकता है। हम अपने काम में ऐसे ठप्पों के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। किसी भी जाति को अपराधी जाति घोषित करना गलत है। ये ठप्पे लोगों के मन में उनके खिलाफ अलगाव पैदा करते हैं। जब-जब कमीशन के लोग इन समुदायों के लोगों से मिले हैं तब-तब हमने पाया है कि ऐसे ठप्पों की वजह से ही समाज के लोग और पुलिस इन समुदाय के लोगों पर जुल्म ढाती है। उन्हें बिना सबूत के मारना, गालियाँ देना, इल्जाम लगाना आदि। ऐसी स्थितियों में पुलिस भी इन घटनाओं में पारधियों या अन्य ऐसे समूहों के खिलाफ ही काम करती है।

बिहार में ग्यारह लोगों को लोगों ने ही सूली पर चढ़ा दिया। जब हम छानबीन के लिए वहाँ गए तो हमने पाया कि उन ग्यारह व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और वे चोर भी नहीं थे। जिन लोगों ने उन्हें मारा था उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब लोग इन समुदायों के ठप्पे की वजह से उनके खिलाफ मारपीट करते हैं तो पुलिस उन्हें रोकने की बजाय इन समुदाय के लोगों को ही पकड़ लेती है।”

**डॉ मीना राधाकृष्णन,
सदस्य, डीनोटिफाइड, नोमेडिक व सेमी नोमेडिक ट्राइब्स का राष्ट्रीय आयोग**

आम जनता परेशान है

चर्चाओं में चर्चा में पुलिस अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि थानों को पारधी समुदाय के लोगों के साथ सख्ती बरतनी पड़ती है क्योंकि आम जनता परेशान है। पारधी लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, सड़क पर टट्टी-पेशाब करते हैं, दारु पीके झगड़ा करते हैं। ये पन्नी बीनने के बहाने निकलते हैं और रिहाइशी इलाकों में चोरी करते हैं। पुलिस द्वारा ये दलीलें दी गई कि पुलिस थानों को आये दिन तड़के सुबह-सुबह फोन आया करते हैं कि पारधी मुहल्ले में चोरी कर रहे हैं। पुलिस कि इन सभी दलीलों पर काफी बहस हुई।

इन गरीब लोगों के रहन-सहन और खुले में शौच जाने के कारण (शौच की व्यवस्थित जगहों के न होने के कारण इन्हे खुले में शौच जाना पड़ता है) मध्यवर्गीय कालोनी हमेशा इन लोगों से नाराज रहता है। जीवन का यह स्तर और ये नाराजगी अपने - आप में भेदभावपूर्ण है फिर पुलिस इस स्थिति को उनके साथ सख्ती का आधार कैसे बना सकती है।

(‘आम जनता’ की शिकायतों के विषय में पूछा गया कि) आखिर कैसे पहचान लेते हैं कि मुहल्ले में घूम रहे लोग पारधी हैं?

श्री पलाश सुरजन,

वरिष्ठ मीडियाकर्मी, देशबंधु भोपाल के संपादक

इस प्रश्न पर बस्ती के कई लोग ने भी कहा कि कुछ भी हो ये पारधी को ही पकड़ते हैं। पारधी है और वो कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, सब्जी लेते हुए या मटन खरीदते हुए पकड़ लेते हैं। (पूरे शहर में पारधी बसाहटे तीन जगहों पर हैं, और क्षेत्र के थाने के पुलिस वाले पारधी की बसाहटों को पहचानते हुए वहाँ लगातार आना-जाना करते रहते हैं।)

बस्ती की किशोर लड़कियों ने जब बताया कि – कई बार कॉलोनियों में रहने वाले लोग या नुककड़-पुलियों पर खड़े लड़के उन्हें सुबह-सुबह रोक लेते हैं, गंदी बातें कहते हैं उनसे मारपीट करते हैं, तब भी पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहती। उनके एक फोन पर आकर, हमें पकड़ लेते हैं।

इस पर जब सवाल हुए तो एस.पी. ने कहा कि – ‘लोग कई बार सेल्फ-डिफेन्स (आत्मरक्षा) में मारपीट करते हैं।’ इस लापरवाहीपूर्ण जवाब पर सख्त प्रतिक्रियायें आयी कि क्या किशोर लड़कियों से 6 बड़े आदमियों को कोई ऐसा खतरा हो सकता है कि वे आत्मरक्षा में मारपीट कर बैठें। न्यायविदों ने कहा कि यह सरासर नागवार है और गैर कानूनी है।

पुलिस के लोग जब बात कर रहे थे, तो ऐसा झलकता था कि हरेक पारधी से... चाहे वो बच्चा हो, नाबालिग लड़की, महिला, पुरुष, कोई भी हो, उससे समाज के अन्य लोगों को एक खतरा है।

पारधी जाति के व्यक्ति के साथ एक मिलाप इसी आधार पर शुरू होता है कि पारधी जाति के पास ज्यादा ताकत होगी और दूसरों को अपने को बचाना पड़ेगा।

एस.पी. के इस कथन—“हमें समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है” पर टिप्पणी

“ये कौन सा समाज है जिसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं, वे हमारे समाज का साठ प्रतिशत है। आपकी इन लोगों के प्रति उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी कि कॉलोनी में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के प्रति है।”

सुश्री अपर्णा पाठक,

राष्ट्रीय ज्यूडीशियल अकादमी, भोपाल के प्रध्यापक सदस्य

“हिन्दूस्तान का तीन चौथाई भाग यहाँ बैठा है, ये हिन्दूस्तान के तीन चौथाई समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं ‘सोसायटी एट लार्ज’, ‘आम जनता’ जो आप कहते हैं वो यही हैं। ये भारत की मिट्टी से निकले हुए लोग हैं, प्रेमचन्द के उपन्यास इन पर लिखे हैं, मैथिलीशरण की कविताएँ इन पर हैं, ये देश की मिट्टी के लोग हैं। यही आम समाज है भारत के, मैं नहीं हूँ। आप नहीं। मुझे मालूम है मेरे ऊपर जब तकलीफ आएगी मैं बचा लूँगा अपने आप को, मरे पास पैसा है, पहचान है।”

श्री अनिल सद्गोपाल,

शिक्षाविद्

“मुद्दा यह नहीं है कि कोई व्यक्ति चोर है कि नहीं, आप किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए तभी उठा सकते हैं जब आपके पास कोई सबूत या जानकारी हो। आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो

जिसके बिनाह पर आप यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति चोरी से जुड़ा होगा। पुलिस पहले किसी व्यक्ति को उठा ले और फिर बाद में तय करे कि वह व्यक्ति चोरी से जुड़ा है या नहीं, यह तो गलत है।”

**श्री मृणाल सतीश,
राष्ट्रीय ज्यूडीशियल अकादमी, भोपाल के प्रध्यापक सदस्य**

पुलिस ने यह भी कहा कि –“बच्चों की आये दिन लोहा-लंगर उठा लेने की आदतों से मोहल्ले वाले तंग आ गये है।” समुदाय की महिलाओं ने बड़ी हिम्मत से कहा कि –काम की, टट्टी पेशाब की जगहों से, नींद में, सोते से बिना कारण उठा लिये जाने, पैसे एंठने की पुलिस के तरीकों से हमारे मोहल्ले वाले भी तंग आ गये है। (यह सभी चोरियां जीवन व्यापन के लिए छोटी चोरियां है, लेकिन इनके आड में पुलिस लोगों को इस तरह डरा-धमका कर रखती है और इन से पैसे एंठती है।)

इस पर लंबी चर्चा हुई कि आम जनता कौन है। क्या पक्के मकानों में रहने वाले लोग ही आम जनता हैं या फिर भोपाल शहर की पाँच सौ बस्तियों में रहने वाली गरीब आबादी आम जनता है क्योंकि पारधी मोहल्ला भी उनमें से एक है।

चर्चा तीव्र होते देखकर एस.पी. ने स्थिति को सम्भालते हुए कहा कि – “हम मानते हैं पारधी समुदाय के खिलाफ समाज में भी प्रबल मानस है और इसे हटाने की सबको मिलकर चेष्टा करनी चाहिये।”

“पारधियों के खिलाफ लोगों के मन में जो गलत भ्रान्तियां हैं, उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी पारधियों की नहीं है। पुलिस का कोई हक नहीं बनता कि वह लोगों की गलत भ्रान्तियों के आगे झुके। पुलिस को हर केस की नए सिरे से छानबीन करनी चाहिए जैसा कानून कहता है व सही मुजरिम को ही पकड़े। समाज की भ्रान्तियों के चलते और उनकी आड में पुलिस यह मानकर नहीं चल सकती कि पारधी समाज के लोग ही अपराधी होंगे व उनके हकों का हनन नहीं कर सकती। उनके साथ भी वैसा ही सलूक और उन्हीं कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही करनी होगी जो सब पर लागू होती है।”

**डॉ मीना राधाकृष्णन,
सदस्य, डीनोटिफाइड, नोमेडिक व सेमी नोमेडिक ट्राइब्स का राष्ट्रीय आयोग**

मानवाधिकारों और कानून के उल्लंघन पर तुरंत शिकायत क्यों नहीं होती

बच्चों और महिलाओं के बयानों के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कई बार कहा कि थाने पर उनके साथ जब ऐसी प्रताड़ना घटती है तो वे तुरंत शिकायत क्यों नहीं करते।

इस प्रश्न पर समुदाय के लोगों ने जवाब दिया कि – “अक्सर मारपीट, बदतमीजी और रिश्वतखोरी की सूचना टी.आई. को होती है अतः उनसे बीचबचाव की उम्मीद नहीं कर सकते। टी.आई. से

ऊपर के अफसरों तक पहुँचना मुश्किल ही है। थाने में अगर बड़े अफसर आए तो लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता।”

शिकायत करने या अपने बचाव की बात करने पर कोई सुनवाई होती नहीं है, वरन् नये केस लगा देने की धमकी इतनी बड़ी होती है कि लोग हिम्मत नहीं कर पाते। प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई कई प्रकार से होती है, पुलिस कभी भी घर में घुसकर घर को कोई भी सामान उठाकर ले जाती है। पेट्रोल की गाड़ी लगभग रोज सुबह पन्नी बीनने निकली महिलाओं के पास से गुज़रती है। इस तरह भय बना ही रहता है।

रोज़ कमाने, रोज़ खाने वाले लोग बड़े अफसरों के पास जाने का वक्त या हिम्मत नहीं कर पाते।

“अगर कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करने में सही कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो पुलिस यह नहीं कह सकती कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है इसलिए शिकायत के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह पुलिस का फर्ज है कि वह लोगों को शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रियाओं की जानकारी दे और शिकायत पर कार्यवाही होनी चाहिए।”

**श्री मृणाल सतीश,
राष्ट्रीय ज्यूडीशियल अकादमी, भोपाल के प्रध्यापक सदस्य**

पिछले साल तीन किशोर लड़कियों को पूर्णतः गैर कानूनी रूप से टी.टी. नगर थाने में रखा गया और उनके साथ मारपीट, गाली-गलौच और जबर्दस्ती जुर्म कबूलने की घटनायें हुई थी जिस पर बस्ती के लोगों और कुछ कार्यकर्ताओं ने एस.पी., आई.जी., भोपाल व ए.डी.जी. (सी.आई.डी.) को लिखित शिकायत दी थी। दो कार्यकर्ताओं ने ए.एस.पी. के समक्ष बयान भी दिये परंतु जाँच की न रपट बताई गई न जाँच के परिणाम और ना ही पुलिस के बर्ताव में कोई फर्क आया।

“हरेक कानून को जानना आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस व न्याय संस्थाओं को कानून के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। अगर एक आम आदमी कानून नहीं जानता हो तो इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस भी उन कानूनों का पालन न करे। कानूनों का पालन करना पुलिस का फर्ज है।”

**श्री मृणाल सतीश,
राष्ट्रीय ज्यूडीशियल अकादमी, भोपाल के प्रध्यापक सदस्य**

“आम आदमी की पहुँच एस.पी. या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं होती। आप कहते हैं कि लोग आपके पास शिकायत लेकर क्यों नहीं आए तो आपको समझना होगा कि वह क्यों नहीं आते। आम आदमी अपने स्थानीय पुलिस थाने को ही जानता है और वहाँ पर अगर उन्हें धमकी दी जाती है तो वह और कहीं नहीं जा पाएँगे। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप लोगों तक पहुँचे।”

**सुश्री अपर्णा पाठक,
राष्ट्रीय ज्यूडीशियल अकादमी, भोपाल के प्रध्यापक सदस्य**

सामाजिक संस्था अपराधियों को संरक्षण देकर पुलिस जाँचों में व्यवधान डालती है

क्षेत्र के सी.एस.पी. व एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लगातार यह आरोप लगाया कि मुस्कान संस्था पारधी समुदाय के अपराधियों को संरक्षण देती है और पुलिस कार्यवाही में अड़चन डाल रही है। इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने स्पष्टीकरण और प्रामाणिक दलील की मांग की। बस्ती की महिलाओं ने कहा कि समुदाय के बच्चों की पढ़ाई, परिवारों के स्वास्थ्य, बचत की फिकर करने वाले, पुलिस की प्रताड़ना पर हिम्मत से बोलने के लिए ताकत देने वालों को ऐसा इल्जाम लगाना गलत है।

इस चर्चा में यह प्रश्न आया कि – कब और क्या, किस तरह संस्था के लोगों ने कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप किया है? इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। यदि आरोप में खास घटना का विवरण दिया जाता तो यह स्पष्ट हो जाता कि किन स्थितियों में किसी संस्था के लोग थाने में आये हैं।

संस्था के लोग उन्हीं केसों के दौरान थाने में गए हैं, जब बच्चों या महिलाओं को गैर-कानूनी तरीकों से ज़बरदस्ती थाने ले जाया गया है और उनके साथ थाने के अन्दर मार-पीट हो रही हो। चर्चा में यह बात उठी कि किस खास घटना से पुलिस के विभिन्न वरिष्ठ कर्मचारी संस्था से परिचित हुए हैं और अब परेशान हो रहे हैं। उस घटना का पूरा उल्लेख देते हुए संस्था की ओर से शिकायत की गई थी कि किस प्रकार नाबालिग लड़कियों को रात-रात भर थाने में रोका गया था और बहुत मारने के बाद खाली कागज़ पर हस्ताक्षर लिये गये थे। इस घटना का ब्यौरा परिशिष्ट-3 में दिया गया है।

कानूनी प्रक्रिया में अड़चन के मायने क्या हैं? इस पर चर्चा हुई। क्या अगर पुलिस गैरकानूनी रूप से बच्चों, लड़कियों, महिलाओं को पकड़ती, बर्तमिजी से पेश आती है, मारपीट करती है तो इस पर सवाल करना, सफाई माँगना गैर कानूनी है? जबकि पुलिस स्वयं कई बार बच्चों, महिलाओं को पकड़कर उन पर अपराधीक इल्जाम लगाकर धमकाती है और फिर रिश्वत लेकर छोड़ देती है।

“जो जिम्मेदारी भारत के संविधान ने भारत सरकार पर रखी है, उसे मुस्कान निभा रही है, वो शिक्षा केन्द्र खोलकर शिक्षा दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जो वास्तव में भारत सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वो बच्चों के हक की, हित की बात करते हैं तो उन पर कानून में अड़चन डालने का इल्जाम गलत है, बेबुनियाद है।”

*श्री अनिल सद्गोपाल,
शिक्षाविद्*

बच्चों के साथ दुर्व्यवहार

हालांकि कई बच्चों ने अपने बयानों में बताया कि कैसे इलाके के थानों के पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। फिर भी बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इसपर कोई खास प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

बच्चों को बेदरदी, ताकत व हिंसा के साथ उठाया गया है। किसी भी स्थान से उठा लिया गया है, केवल शक पर (कि क्यूँ भाग रहे थे) या किसी की शिकायत पर, या कभी – कभी बिना किसी आधार के उठा लिया गया। बच्चों सड़क पर बिन रहे होंगे, पार्क में या सड़क पर खेल रहे होंगे,

घर पर काम कर रहें हो या सो रहे हो या खाना खा रहे हो – किसी भी स्थिति में बच्चों को उठाने की घटनाएं सामने आईं।

पुलिस की ये सभी कार्यवाही ऐसी स्थितियों में हुई हैं जब जुविनाईल पुलिस (बाल-अपराध पुलिस)का कोई अधिकारी साथ में नहीं था तथा क्षेत्रीय थाना पुलिस ने ही बच्चों को बिना अधिकारों के उठाये है। कानून के विरुद्ध, बच्चों को जुविनायल यूनिट (भोपाल में बजरिया थाने में स्थित) में ना ले जाकर, क्षेत्र के थाने में रोका गया है। बच्चों को थाने पर, कुछ घंटों से कई दिनों तक रोकने की घटनाएँ घटी हैं।

थाने के अन्दर, बच्चों के साथ बहुत मार-पीट हुई है, कभी लाठी या डंडे से, तो कभी पैर से धक्के लगाते हुए। लड़कियों के बाल खींचना और लड़को को उल्टा टांग कर मारने की घटनाएँ भी हुई है।

थाने के अन्दर कही गई बातें

'आजकल नई तरीके की लाठी (लाइट वाले batons) से मारने पर बाहर चोट भी ज्यादा नहीं दिखती।'

'कोर्ट में पेश करने से पहले नए कपड़े ला दो और बदल दो ताकि इतने दिन की यहाँ पर रहने की बांस मिट जाये।'

ज्यादातर केसों में, बच्चों के घरवालों से पैसे ऐंठने के लिए पकड़ा जाता है। परिवार से पैसे की माँग यह धमकाते हुए होती है हुए कि बच्चों या माँ-बाप को बड़ी चोरी में फंसा देंगे। कभी – कभी मार-पीट के माध्यम से बच्चों से चोरी काबुल करवा ली जाती है जिसमें किन्हीं पुरानी चोरीयों का मामला होता है, जिसका दोष इन पर साबित कर दिया जाता है। कभी-कभी यदि कोई बच्चा सच में किसी चोरी में शामिल है, उस स्थिति में भी, रिश्वत लेना और मारना-पीटना चलता है। परिवार वालों से लगातार थाने से पैसे की माँग यह कहते हुए कि जाती है कि बच्चे से अन्दर मिलने देंगे या कम मारेंगे।

"इस समुदाय के बच्चे करीब 5 बजे से अपनी आजीविका के लिए पन्नी बीनने के लिए निकलते हैं। अगर आदमी भूखा है तो क्या नहीं करता, वो क्या करते हैं देखिए मैं बड़ी फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ वो क्या उठाते हैं – कहीं से नल की टोटी उठा लेंगे, कहीं ढक्कन पड़ा है, उठा लेते हैं। वो किसी की बहुत कीमती चीज नहीं ले जाते हैं; कुछ लोगों को छोड़कर क्योंकि जो क्रिमिनल है, वो अलग ही है।"

**श्री जी.के पाठक,
ए.एस.पी**

"जिस तरह की बातें इन छोटे-छोटे बच्चों ने बताईं वह परेशान करने वाली हैं। इस तरह का रवैया तो इन बच्चों को ठीक से बड़े नहीं होने देगा। यह रवैया खुद ही इन्हें अपराधी बनादेगा। हम ऐसी गालियाँ दें इन बच्चों को? ऐसी गालियाँ देंगे तो अपराधी ही बनेंगे ये बच्चे, अपराध का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, चेतने की ज़रूरत है। मैं बुजुर्ग हूँ; हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ – बच्चों को अपराध के मार्ग पर लेकर न जाएँ। ये माँ-बहन की गालियाँ देना, गंदी बातें कहना, ये तो बच्चों का बचपन छीनने के बराबर है, ये बच्चे हैं, इन्हें सम्मान दिलायें।"

**श्री अनिल सद्गोपाल,
शिक्षाविद्**

पारधी बच्चों के मन में पुलिस की एक स्पष्ट छवि बन चुकी है; यह छवि उनके जीवन में एक के बाद एक घटी, घटनाओं के अनुभव से बनी है। उन्होंने देखा है कि पुलिस उनके माँ-बाप व समुदाय के लोगों से किस तरह का बर्ताव करती है, कैसे उनको मजबूर करती है, कैसे उनसे पैसे ऐंठती है, कैसे मारती है। ऐसी घटनाओं को लगातार देखने और जीने के बाद पुलिस के किसी भी

व्यक्ति पर भरोसा करना पारधी बच्चों के लिए असम्भव है। स्थिति कैसी भी हो, उन्हें पूरा पक्का विश्वास है कि पुलिस उनकी बात पर कभी ध्यान नहीं देगी और पुलिस उनके लिए 'रक्षक' की भूमिका में है ही नहीं।

पुलिस की गाड़ी या पुलिसवाले को देखते ही, बच्चे छुपते हैं, भागते हैं। उन्हें विश्वास है कि बिना किसी कारण उन्हें पकड़ा जा सकता है। कभी-कभी ऐसे डर और डर से भागना ही चोर होने का आधार बन जाता है, कहा जाता है कि दौड़ क्यों रहे थ? अगर ये स्थितियाँ बदलनी हैं तो पुलिस की ओर से ही आवश्यक पहल होना पड़ेगा।

प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत बच्चे पकड़े जा सकते हैं और उनके साथ किये जाने व्यवहार की अपेक्षा

मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 के अन्तर्गत

9(5) पुलिस द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के पकड़े जाने पर पुलिस यथाशीघ्र बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या पदाभिहित पुलिस अधिकारी के भारसाधन में रखेगी।

9 (10) गिरफ्तारी पर प्रारंभिक जाँच करने के लिए बालक को पुलिस स्टेशन के हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा, इसके बजाए यथासंभव अल्प समय में, जो आठ घंटे से अधिक का नहीं होगा, विशेष किशोर पुलिस इकाई या अन्य ऐसा कोई संगठन हो, सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, जब कोई बालक, विशेष किशोर पुलिस इकाई से भिन्न किसी स्थान पर रख जाता है तो उक्त स्थान का भारसाधक अधिकारी, उस अधिकारिता का विशेष किशोर पुलिस इकाई को तत्काल सूचना देगा तथा जहाँ तक संभव हो, समन्वय में कार्य करेगा, ऐसे समस्त स्थान, ऐसे वातावरण, सेवाओं तथा प्रसुविधाओं से युक्त, बालक मित्रवत स्थान होंगे जहाँ बालक का व्यक्ति के रूप में सम्मान हो तथा जो उन्हें तनावरहित होने, खेलने, अपनी राय अभिव्यक्त करने, अपने से संबंधित विनिश्चयों में भाग लेने तथा देखभाल करने वाले और जिम्मेदार वयस्कों तक पहुँच में समर्थ बनाए, पुलिस/मान्याप्राप्त स्वैच्छिक संगठन, पकड़े गए या उनके भारसाधन में रखे गये बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

9 (3) संबंधित पुलिस अधिकारी, बालक के मित्र की भूमिका निभाएगा। वह विधि का उल्लंघन करने के लिए कथित बालक के संबंध में पुलिस द्वारा अपेक्षित समस्त विशिष्ट भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को निभाएगा/निभाएगी। वह विशेष 'किशोर पुलिस इकाई' में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ सामंजस्य से कार्य करेगा/करेगी और पुलिस द्वारा अपेक्षित विशेषज्ञतायुक्त भूमिकाएं ही निभाएगा/निभाएगी। समस्त पुलिस अधिकारी बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होंगे।

9 (11) विधि का उल्लंघन करने के लिए कथित बालक को आहार संबंधी देखरेख के साथ ही उस समय आवश्यक समझी जाने वाली अन्य सेवाएं, जैसे तत्काल चिकित्सीय देखभाल, बुनियादी आवश्यकताएं, परामर्श आदि उपलब्ध कराई जाएंगी।

9 (2) ऐसे समस्त व्यक्ति, गिरफ्तारी के समय को छोड़कर, जहां संभव हो, सादे वस्त्र ही पहने न कि वर्दी, जब तक कि विशिष्ट परिस्थितियों द्वारा यह अपेक्षित न हो कि उक्त अधिकारी, बालक के हित में पुलिस वर्दी पहने तथापि वे उनके पहचान-पत्र सभी समय साथ रखेंगे, जो कि मांग किए जाने पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

9 (8) गिरफ्तारी पर, बालक को उसकी पसंद के किसी व्यक्ति को फोन पर अन्यथा बुलाने के उसके अधिकार को पूरा करने के लिए समस्त संभव सहायता दी जाएगी।

9 (9) बालक को संस्वीकार (कन्फेस) करने या परिसाक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बालक से जानकारी निकलवाने के लिए किसी प्रकार की यातना या उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार

औरतों ने अपने बयान में ऐसी कई घटनाएँ बताईं जिसमें यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि जब वे बीनने निकलती हैं, तब सड़कों पर (जो उनके काम की जगह है) उन्हें अलग-अलग तरह के पुरुषों (जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है) के आक्रमक प्रस्तावों से बचना पड़ता है।

थाने के अंदर और बाहर सभी जगह लैंगिंग गालियाँ दी जाती हैं। महिलाओं को दिन-रात कभी भी थाने पर रोके जाने की कई घटनाएँ हैं। महिलाओं को बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। यदि अपने को बचाने का कोई प्रयास किया जाता है या कोई सफाई देते हुए, कुछ कहने का प्रयास होता है, जैसे 'हमारी बोरी में तो कुछ नहीं है' या 'क्यों पकड़ा' तो मारने-पीटने का क्रम और तेज हो जाता है। जिससे बचने के लिए ये लोग ऐसे प्रयास करते हैं जिससे पुलिस का ध्यान इन पर केन्द्रित न हो जिसके लिए कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे चुपचाप बैठना, किसी व्यक्ति के पीछे बैठ जाना, या सोये हुए का नाटक करना आदि। लेकिन यह सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं, मारने और गाली-गलौच का अंत, जब तक थाने से बाहर ना निकले, तब तक नहीं होता।

क्या बीनने के काम के दौरान औरतों पर हाने वाले यौनिक उत्पीड़न पर कोई जवाबदार नहीं है?

असंगठित और खुद के लिए (न के कोई स्पष्ट कर्मचारी के लिए) काम करने की स्थिति में कार्यस्थल पर होने वाले यौनिक उत्पीड़न पर शहरी प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। खासतौर यह उत्पीड़न सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया है।

यदि परिवार वाले पैसे देकर नहीं छुड़वाते हैं, तो ये धमकी दी जाती है कि उन्हें बड़ी चोरियों में फंसा दिया जायेगा। औरतें स्वयं मार खाने के लिये तैयार होती हैं क्योंकि यदि उनके पति या घर के बड़े लड़कों को पकड़ा गया तो उन्हें छुड़वाने में ज्यादा खर्चा आएगा। इसका एक कारण यह भी है कि अपने बच्चों को मार से बचाने के लिए औरतें बार-बार पिटती हैं।

आई पी सी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता

- प्रत्येक अभियुक्त को अधिकार होगा कि उस पर बल प्रयोग न किया जाये।
- अगर बल प्रयोग के द्वारा अपराध स्वीकृत कर ली गयी है अथवा धोखे से करवायी गयी है तो अभियुक्त उससे इंकार कर सकता है।
- इसके लिये उसे न्यायालय के सामने हस्ताक्षरयुक्त लिखित में बयान दे देना चाहिये।

"एक लड़की को हम छू नहीं सकते, आपके पास कानून है आप ज्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूँ। मुझे मालूम है सेक्सयूल ओफेंस कितना गंभीर मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार इस पर बात कही है, हम लड़की को छू नहीं सकते। इस तरह कहाँ है लेडी आफिसर, कहाँ है जुवेनाइल कोर्ट। ये बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं। ये सामाजिक लिंग भेद का सवाल है।"

**श्री अनिल सदगोपाल,
शिक्षाविद्**

महिला गिरफ्तारी पर (आई पी सी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता

- जब किसी महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाये तो एक महिला सिपाही की उपस्थिति आवश्यक है। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं होने का स्पष्ट कारण लिखना होगा।
- एक महिला की तलाशी महिला के द्वारा ही मर्यादा को ध्यान में रखकर ली जायेगी।
- गिरफ्तार की गयी महिला का चिकित्सकीय परीक्षण महिला चिकित्सक की मौजूदगी में ही होगा।
- गिरफ्तार महिला को महिला जेल में ही रखा जायेगा।
- अभियुक्त को उसके गिरफ्तार किए जाने के समय से 24 घंटे के भीतर दंडनायक के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है।

“पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियां जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वह इस समुदाय के साथ और कई स्थानों पर भी होती है पर यहाँ जिस तरह की बातें बतायी जा रही हैं वो और भी गंभीर व परेशान करने वाली हैं क्योंकि यहाँ लड़कियों व औरतों को परेशान किया जा रहा है। 6, 8, 10 साल की छोटी छोटी लड़कियों को पुलिस उठा रही है, ये बहुत ही गंभीर है। ये एक जेण्डर का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है और बच्चों के हकों का मुद्दा है। मैं इसको रिकॉर्ड में लाना चाहती हूँ और यह दर्ज कराना चाहती हूँ कि इसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए।”

**डॉ मीना राधाकृष्णन,
सदस्य, डिनोटिफाइड, नोमेडिक व सेमी नोमेडिक ट्राइब्स का राष्ट्रीय आयोग**

मानव अधिकारों की सुरक्षा या हनन

पुलिस ने कई बार मानवाधिकार के हनन के प्रश्न को एक तरफ रखते हुए मुद्दा ये बनाए हुए है कि पारधी जाति में आपराधिक गतिविधियां होती हैं। ये दोनो बातें बिल्कुल अलग हैं और पूरी तरह से सच भी नहीं है अतः इन दोनो बातों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पुलिस ने अपने कथन में यह कहा है कि यदि अपराधी को पकड़ा दिया जाएगा तो मार-पीट या गैर कानूनी तरीके से परेशान करना बंद हो सकता है।

उसकी माँ को जब तक नहीं लेकर आओगे, वह नहीं छूटेगी।

केस डायरी नहीं पेश करेंगे जब तक बस्ती में सभी लोगों को नहीं पकड़वाते।

यह थाने स्तर पर भी देखा जाता है और बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं में भी स्पष्ट हुआ है। पुलिस का प्रयास होता है कि समुदाय के कुछ लोग 'मुखबिर' बन जाएं। इन्हीं 'मुखबिरों' को पुलिस द्वारा प्रताड़ना से सुरक्षा दी जाती है। किंतु यह एक स्थायी प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया केवल कुछ पुलिस वालों के सीमित उद्देश्य को पूरा करने में काम करती है जो समुदाय को किसी प्रकार की मदद नहीं करती। कई बार लोग अपनी व्यक्तिगत लड़ाईयों में पुलिस के माध्यम से एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मुखबिर भी वे ही लोग बनते हैं जो समुदाय के समस्त लोगों में से ज्यादा शाक्तिशाली हो। ये प्रक्रिया सामुहिक और पारदर्शी नहीं होती और बस्ती और समुदाय के अंदर शक का माहौल बनता है।

“आज की तारीख में आम आदमी के मन में ये बात है कि पारधी समुदाय चोरी करते हैं तो इसमें समुदाय का भी दायित्व बनता है कि उनके बीच में जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें छांटकर ठीक करने के लिए पुलिस से मदद लें।”

**श्री जयदीप प्रसाद
एस.पी. भोपाल**

“अपने आप को निर्दोष साबित करना किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। संविधान कहता है कि हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसे दोषी साबित न किया जाए। इसलिए आप इन व्यक्तियों पर अपने को निर्दोष साबित करने का बोझ नहीं डाल सकते। अगर आपके पास कोई सबूत है कि यह व्यक्ति दोषी है तो इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है।”

**सुश्री अपर्णा पाठक,
राष्ट्रीय ज्यूडीशियल अकादमी, भोपाल के प्रध्यापक सदस्य**

चर्चाओं में यह स्पष्टतः सामने आया कि पारधी जाति के लोगों को किसी भी घटना में अपनी बेकसूरी साबित करनी पड़ेगी क्योंकि वे पारधी हैं जो एक आपराधिक जाति पहचानी गई है। इस बात पर काफी बहस हुई कि लोगों की गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों पर अन्यायों का भार दिया जा रहा है। पहली बार जब यह कानून बना था (क्रिमीनल ट्राईब एक्ट) उस समय एक गलती की गई थी और अब उसी को लेकर दूसरी गलती हो रही है।

“उन्हें भी अपनी छवि ठीक करनी होगी। पारधी समुदाय के लोगों को भी ये साबित करना होगा कि ये भ्रान्तियां गलत हैं। कानूनी तौर पर जो आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर किसी जाति को अपराधी कहना व इल्जाम लगाना गलत है वह बात ठीक है पर उसे लोगों के मन से निकालने के लिए पारधी समुदाय व आप लोगों को ज्यादा काम करना होगा।”

**श्री जयदीप प्रसाद
एस.पी. भोपाल**

“सभी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार हैं कि किसी भी व्यक्ति का चाहे कोई भी जुर्म हो पर उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ही करना पड़ेगी। कानून को बनाए रखने के लिए पुलिस खुद कानून नहीं तोड़ सकती।”

**श्री मृणाल सतीश,
राष्ट्रीय ज्यूडीशियल अकादमी, भोपाल के प्रध्यापक सदस्य**

“पुलिस को एक कानूनी संगठन होने की वजह से पहल करनी होगी। वे गैर कानूनी तरीकों की मदद नहीं ले सकते। जब समाज के लोग पूर्व भ्रान्तियों की वजह से इन समुदाय के खिलाफ कानून तोड़ते हैं, तो ये पुलिस का फर्ज है कि वो ऐसी घटनाओं के खिलाफ कार्यवाही करे। पुलिस को ही इस तरह की भ्रान्तियों को बदलने की पहल करनी होगी समाज में भी व अपने अंदर भी।”

**डॉ मीना राधाकृष्णन,
सदस्य, डीनोटिफाइड, नोमेडिक व सेमी नोमेडिक ट्राइब्स का राष्ट्रीय आयोग**

कानूनी ढांचे की भूमिका

कानूनी ढांचे बनाए गये हैं ताकि मानव अधिकार और बाल-अधिकार हनन के मुद्दों पर काम किया जा सके। इन संस्थाओं को अपने दायित्वों के अंतर्गत ऐसी घटनाओं पर आगे आकर पहल करनी चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दों तक किसी के द्वारा लाए जाएं, तब वे जागें।

लोगों के पास इन संस्थाओं की जानकारी और यहाँ तक पहुँच बिल्कुल भी नहीं है। यह भी देखने में आता है कि किसी की भी शिकायत करने पर विभिन्न जगहों से धमकियाँ और रिश्वत के ऑफर के रूप में प्रतिक्रियाएँ शुरू हो जाती हैं। इससे उभरने वाले असमंजस की स्थितियों और चिंताओं को सामने रख पाने के लिए भी किसी जगह कि जरूरत है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, इन संस्थाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए पहल करना चाहिए।

बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के साथ रिश्ता बनाने का अपना तरीका है, बचपन की अपनी दुनिया है। जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में माना है। उसमें बच्चों की प्रतिष्ठा का सवाल है। दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है, जिसमें बच्चों की प्रतिष्ठा की बात हो। और बच्चों की प्रतिष्ठा के जो नमूने अभी हमने देखे हैं वो तो संविधान के खाके में फिट ही नहीं होते। बच्चों की सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा को एस.एच.आर.सी. का मुद्दा बनाएँ।”

*श्री अनिल सद्गोपाल,
शिक्षाविद्*

माँगपत्र की प्रस्तुति व उस पर चर्चा

विभिन्न चर्चाओं और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की टिप्पणियों/सुझावों के अंत में राजीव नगर पारधी मोहल्ले के लोगो पर घटने वाली पुलिस ज्यादतियों में कमी व बदलाव लाने के कारगर तरीकों पर बात आई।

इस मुद्दे पर बात कि शुरुआत करते हुए एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद ने कहा कि इस प्रकार की समस्याएँ जब आती हैं तो उन पर लम्बी बात करना जरूरी है, अभी समुदाय को बुलाया तो एक संवाद शुरू हुआ है, इसके बाद एक ऐसा मंच चाहेंगे जिसमें पुलिस समुदाय में जा सके, जो छोटी-छोटी बातें हैं, उन पर चर्चा हो और आगे काम कर सकें।

समुदाय की ओर से एक विस्तृत माँगपत्र रखा गया, जो समुदाय के सम्मान व सुरक्षा के लिए, उनके संवैधानिक हकों के लिए, उनके साथ पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करने के लिए की गई माँग थी।

1. बच्चों को उठाना, बच्चों को थाने में पूछताछ करना, बच्चों को उनके माता-पिता या किसी भी ऐसे व्यक्ति (जैसे शिक्षक या कोई अन्य कार्यकर्ता) जिन पर बच्चे को भरोसा है की उपस्थिति के बिना उनके बयान लेना, बच्चों के साथ मारपीट, बच्चों को धमकाना, उनसे पैसे लेना, ये सभी बंद होना चाहिये, ये सभी बातें गैर-कानूनी हैं और बच्चों के अधिकार के विरुद्ध है। यदि थाना में बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना होती है, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अगर बच्चों ने कोई अपराध किया है तो **जुविनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान और उद्देश्यों के अंतर्गत ही बच्चों के साथ कार्यवाही की जाए।**
2. अगली माँग महिलाओं के साथ भी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत काम करते हुए सूर्योदय से पहले या सूरज ढलने के बाद उन्हें न पकड़ना, टट्टी, पेशाब की जगहों पर से या सुबह-सुबह पन्नी बीनते हुए उन्हें अपमानित करके ले जाना, ये बन्द होना चाहिए। गंदी गालियाँ, उनके शरीर के अंगों को ले के मज़ाक करना, उनके शरीर को छूना, छेड़छाड़ करना, ये सब बंद हो। यदि इसप्रकार कि घटनाएँ होती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
3. माँगों में यह बात भी रखी गई कि (पुलिस द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार की) शिकायतों की जाँच पर समुदाय और अन्य लोगो के जो अनुभव हैं, उसे देखते हुए यह एक गंभीर मसला लगता है कि **जाँच कैसे करे और जाँच में किनके बयानों को महत्व देंगे।** जैसे आज यदि यहाँ इतने लोग इकट्ठा है। बच्चे, महिलायें खुलकर बोल रहे हैं, या उस दिन रात को उस लड़की ने (19 जनवरी 2008 को टिंटीबाई की घटना के संदर्भ में उसकी भाभी ने) एस.पी. को खुलकर बताया कि उन्हें पुलिस ने मारा, उनसे पैसे लिये। इन सब के बावजूद इन्हे नकारा जाता है। जब बस्ती में काम करनेवाले कार्यकर्ता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास बच्चों को गलत तरीके से पकड़ने और उनके साथ होने वाले बर्तावों के संदर्भ में बात करने जाते हैं तो यह कह दिया जाता है कि वो तो वहाँ उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति में घटना का साक्ष्य कैसे दे सकते हैं।

मार्च 2007, समुदाय एवं कुछ स्वतंत्र व्यक्तियों ने एक घटना की लिखित शिकायत दी, उसकी जो भी जाँच संपन्न हुई है उसके लिए उन तीन बच्चों से आकर किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की। उन बच्चों से किसी ने बयान नहीं लिये, किसी भी शिकायतकर्ता से

- बात नहीं की गई। फिर किस बिनाह पर मान लिया गया कि बच्चों के साथ मारपीट नहीं हुई या उन्हें गैरकानूनी तरीके से रोका नहीं गया? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि शिकायत की जांच की प्रक्रिया क्या होती है, उन्हें जनसूचना में कैसे रखा जाए। साथ ही शिकायतकर्ता के बयानों पर भरोसा ज़रूरी है और उसे नकारने के स्पष्ट कारण होने होंगे।
4. जब कभी पुलिस किसी महिला या बच्चे को पकड़ती है और यदि वे अपने नाम के साथ 'सिंह' बताते हैं तो पुलिस स्वयं ही उस नाम के आगे 'पारधी' जोड़ देती है, यही जानकारी आगे अदालत में जाती है और पारधी समुदाय से जुड़े सभी पूर्वग्रह इस जानकारी के साथ आगे काम करने लगते हैं। जिससे उसके खिलाफ एक मानस निर्मित होता है। अगर इस बात का ध्यान रखते हुए थानों से ही **कागजी कार्रवाइयों में व्यक्ति द्वारा बताया गया नाम ही लिखें** और अनावश्यक रूप से व्यक्तियों के नाम के सामने पारधी न लगायें।
 5. इन सभी मांगों के साथ एक और खास माँग रखी गई कि चूंकि राजीव नगर के पारधी समुदाय के साथ बहुत सी समस्याएँ आ रही हैं, अतः उस पर एक **नागरिक निगरानी समूह बने** जिसमें समुदाय के लोग हों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हों, कुछ समाजकर्मी हों जो मासिक या द्विमासिक तौर पर मिलकर पूरे संदर्भ पर चर्चा करें व नज़र रखें।

माँगपत्र विस्तृत था व उभर रहे मुद्दों पर चर्चा में समय लग रहा था अतः समुदाय के माँगपत्र की एक प्रतिलिपि श्री जयदीप प्रसाद जी को दी गई। एस.पी. श्री जगदीप प्रसाद ने उपरोक्त बातों पर रज़ामंदी दी।

मांग-पत्र

पारधी समुदाय के महिलाओं और बच्चों पर होने वाली पुलिस ज्यादाती को रोकने हेतु सुनवाई बैठक

1. बच्चों के साथ साधारण थाने में किसी तरह की पूछताछ और कार्यवाही न करते हुए किशोर/किशोरी न्यायालय अधिकारी को सूचित करे और उनसे कार्यवाही करवाये। बच्चों के साथ कोई भी कार्यवाही J.J. Act के अंतर्गत गठित special Juvinial unit के द्वारा ही की जाये।
2. हर थाने के अन्दर किशोर/किशोरी न्यायालय अधिकारी नियुक्ति हो और उनका नम्बर सार्वजनिक हो जिससे कि हम उनको सम्पर्क कर सके।
3. वर्दी पहने हुए पुलिसकर्मी बच्चों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और बच्चों के साथ कार्यवाही करते हुए किसी भी ऐसे प्रतिकात्मक चिन्ह का इस्तेमाल न हो जो यह प्रतीत करता हो कि वह पुलिसकर्मी है।
4. बच्चों ने यदि कोई अपराध किया है तो कोई न्यायिक अधिकारी को सूचित करते हुए उसे बता दे और उसका यह काम होगा कि वह 24 घण्टे के अन्दर कोर्ट के सामने पेश करें।
5. नोडल आफिसर हर थाने में नियुक्त हो और इसकी जानकारी सार्वजनिक हो।
6. बच्चों के साथ किसी भी जगह मारपीट नहीं होनी चाहिये। बच्चों के साथ ऐसी किसी भी घटना पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे ही बता पायेंगे कि उनके साथ क्या हुआ अतः पुलिस के खिलाफ स्वयं बच्चे, उनके अभिभावकों, शिक्षक, समाजसेवक के बयान को महत्वता देते हुए कार्यवाही करनी चाहिए।
7. किसी भी बच्चों के बयान उनके माता-पिता, शिक्षक, समाजसेवक की अनुपस्थिति में नहीं लिया जाए। बच्चों से अकेले धमका कर चोरी के इल्जामों की दहशत बनाकर या मारपीट के द्वारा उनसे जुर्म कबूल करवाना और पैसों की मांग करने पर सख्त पाबंदी।
8. महिला पुलिस के बिना महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए न ही मार-पीट की जानी चाहिए।
9. महिलाओं के साथ अश्लील शब्दों/लैंगिक प्रताड़ना की धमकियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक छेड़छाड़ के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

परिशिष्ट 2 :

टिंटीबाई के आत्महत्या के दिन, जनवरी 19, 2008 के दिन – भर का घटनाक्रम

Sixteen year old Tintibai, committed suicide by hanging herself on the 19th January 2008.

This extreme step by this young girl stands testimony to the stress, dejection and helplessness which have become an integral part of the lives and routines of various individuals of her community, who live in Pardhi Mohalla of Rajeev Nagar Basti, Kotra Sultanabad, Bhopal.

Tintibai since the age of 5 had been rag picking, like 20,000 other children in this city of Bhopal. Most children, and women in the Pardhi community in Rajeev nagar rag pick for a living. Their days are marked with hours of labour for garbage collection, accompanied with an almost daily harassment and humiliation by the police.

Tintibai's family has 3 sons and two daughters, besides her parents. Her elder brother is handicapped. Tintibai and her sister in law Heroin , 17 years have been the prime bread earners of the family through daily rag picking work. In the last 2 years, the Police has held Tintibai thrice, besides threats and snide remarks on the roadside many times.

The earlier cases also based on suspicion are marked with gross legal irregularities including taking away in the middle of the night, not letting the parents meet her, beating her up abusing her, forcing her to sign prewritten papers and forcing her and two accompanying children to admitting to a crime they had not committed. Even at that time, her community members, representatives of Muskaan and independent volunteers had brought attention of the then SP and IG to the case and issues.

On the 19th January 2008:

Early morning- Tintibai and Heroin left their homes to rag pick. In the Vaishali area of Kotra Sultanabad, a group of residents cornered and accused them of having stolen fuel from a nearby vehicle; not having found the fuel on them, asked them to name their accomplices. When the girls denied any involvement in the theft, the residents threatened, abused and beat them up. They then called the police from Kamla Nagar Thana. Two police persons on a motorcycle reached the site and interrogated the girls and although they found nothing stolen on them, called the patrol vehicle, picked them up and took them to the thana. All the Police personnel involved were male.

Morning and day: At the thana, with the presumption of them being involved in the crime, they were interrogated by male personnel, about their accomplices. As the girls denied any knowledge, they were humiliated with, '*chotte ho, chori karte ho, ab petrol bhi churane lagi ho..... bahut garmi aa gai hai..*' and also beaten up with a baton. In the course of this questioning, One of the policepersons insultingly touched Tintibai on her cheeks and when she protested, sexually violated her by passing his hands on her chest. As the girls continued stating that they had no knowledge or participation about the said crime, they threatened to turn them over to the same community so that they could beat them up again. The girls pleaded to let them go home, when one of the policepersons demanded Rs1000. When the girls said that they did not have money, he said one of them could go and get it while the other would have to remain at the thana. Tintibai said that she would not be able to arrange for such a large amount, he asked how much she could bring and insisted on Rs 600.

Afternoon: Tintibai hurriedly came home and asked her brother Tinti to give her the money. Tinti gave her Rs 500 which she took and went to the Thana along with one of her relatives. She gave the Rs.500 to the policeman, who then let her and Heroin go.

Late afternoon: As the girls arrived in the community, they came to a community meeting at the basti where some women, girls, two teachers from Muskaan and an independent volunteer were sitting. The girls shared their experience and the group discussed how, this practice of daily 'picking up' and extortion relentlessly continued. Tinti looked obviously dejected and got up from the meeting saying she was tired and would go home to rest. Heroin accompanied her home. They sat and conversed for some time and Tintibai lied down when Heroin left to visit her mother's house. After about an hour, it was discovered that Tintibai had hanged herself from the bamboo supporting their tin roof. Her brother and her father brought her down by cutting the rope.

Evening: As the basti got together and Muskaan and other group workers reached her house, they urgently took her to the Jai prakash narain hospital where she was declared 'brought dead'.

Night: As Tintibai's body was taken to the mortuary in Hamidia hospital, the community was both shocked and outraged. There was no doubt in anyone's mind that Tintibai's extreme step resulted from her experience of Police harassment through the day which came in the series of such harassments that she had been facing for over 2 years.

The Community Response: The community was deeply outraged and Tintibai's family shocked and angry. The whole community walked to the Kamla Nagar Thana to protest and demand explanation and action. Muskaan Workers, volunteers who have been involved in educational and women centred work with the community for several years now joined the protest and as word spread residents of Ganagnagar basti, Babu Nagar slum and members of various groups and voluntary organizations including Yuva Samvad, Madhya Pradesh Mahila Manch, Bharat Gyan Vigyan samiti gathered at the kamla nagar thana to register protest against the harassment of Tintibai and Heroin on that day and the continuous Police atrocities against the pardhi community. The community demanded that the SP personally respond to their complaints. After two hours of persistence the SP came to the thana premise. The community complained of the continuous atrocity and unlawful behaviours by the Kamla Nagar and T T Nagar Thana staff with them and the conduct of the kamla Nagar thana on the particular day abetting tintibai's suicide and the gross vulnerability of many like her in the community. The SP assured that an enquiry by an independent authority i.e., the DSP crime Nimisha pandey shall be instituted urgently and action shall be taken on Police personnel involved. Further, as the community raised the issue of continuous out of procedure 'picking up' detention, questioning, searches and demands of huge bribes, use of abusive language, physical and sexual violations by staff of the two local thanas, the SP had to be persuaded to hold and be part of a Public hearing where individuals could present testimonies of the Police atrocities against the pardhi community. He finally agreed to have such a meeting on the 30th January 2008.

परिशिष्ट 3:

पारधी समुदाय, राजीव नगर में घट रही पुलिस ज्यादतियों के संदर्भ में मुस्कान संस्था, भोपाल व कुछ स्वतंत्र विकास कर्मियों की ओर से वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को दिया गया शिकायत पत्र

March 31, 2007

To
The Inspector General - Police
Bhopal Range

Dear Sir,

Muskaan is an organization working with children and women in urban slum communities of Bhopal. We are working towards provision of meaningful education with children who are out of mainstream schools, and on improving quality of education through interventions in 10 government schools. We have also been working on issues of health, livelihoods and credit and civic rights of these various communities.

We write to bring to your notice the continuing irregularities carried out by police authorities functional at the thanas in proximity to the Rajiv nagar community in Kotra Sultanabad, and also bring to your notice the gross violations that occurred during the detention of three girls between March 10 – 12th, 2007 in the T.T.Nagar thana.

There are about 70 families of the Pardhi community living in Rajiv Nagar who rag pick for a living. We have been working with the children and the women of this slum for over five years now, and have been a witness to their daily lives and the issues they are struggling with.

As a community, their lives have been closely entwined with the police authorities of the area. The community faces continuous harassment from the police and there has been no questioning of the inhuman and violent methods used by them for this purpose. Even when there is no specific reason, people are arbitrarily picked up merely because they belong to the pardhi community.

- Children and women are picked up or just threatened and scared off just as they begin their rag-picking routine, even when their sacks are empty, and money is demanded with the threat that they could be registered under section 109 on any theft. Usually, the woman or the child would be taken to the thana for the whole day. The family would be informed to arrange for the money, running between some hundreds to a few thousands by evening. If this is not possible, then a case would be filed against the person. However this happens in very rare circumstances only when the person from the community resists paying the bribe. In most circumstances, the family bargains to some extent, takes loans on heavy rates of interest and pays off the police persons and sometimes this continues as a credit from the thana person also.
- It is a usual practice in the community to sell their collections of each day after a period of 2 – 3 months, when sorting has been done, and also when reasonable weights of each material is collected. For example, the rag-picking is of all kinds of materials. There are all metals, as copper, brass, aluminum, iron, and different plastic, rubber and glass, and these are taken out from the smallest things, as from a broken bulb, thrown off electric switch, thrown off medicine bottles, toothpaste tubes, old shoe soles, empty milk packets, etc. Sometimes if people need the money, then they sell of some things at the kabadi-walas in the area, but they

try to sell it in bulk at the kabadis in old city as the rates are better there. So whenever the people are going to sell their periodic collections, then they are stopped and amounts are demanded with similar threats as above. As the slum is on the main road, and the people have to go in a tempo with their full sacks, then it is easy for the police to know when the people are going to the kabadi and stop them while the stuff is being loaded.

- Whenever people are picked up, there is a constant banter of abusive language, may it be with the woman or the children. The abusive language is very racial and also personally attacking on the person. Children are easily beaten up, girls or boys. There have been instances of girls being beaten by belts also. Women have been slapped and pulled by their blouses.
- Whenever people buy anything of significant value, as a T.V. or a C.D. player, then the police of these thanas often comes and harasses the family. Even on production of a bill (the community is so used to the ways of the police that they consciously pick up a bill when buying anything), the police would threaten to slap a case of a theft unless a bribe is paid.
- It is therefore not surprising to note that while the confrontations between the police and the community are on an average 10 in a month with some family or the other, but the times cases have been filed or the people having been sent to a jail even for a day, or being convicted are much less.
- In those circumstances, where the police wants to prove that a specific robbery has been done by people in that community, then there is an extreme physical torture that is done on the person to agree to the robbery. There have been instances of a man being hung upside down with a brick tied to his testicles. Another man has become mentally disturbed after some treatment meted out on him in the police station, to the extent that with the incident even being more than six months old, he hides under the bed whenever approached. In a recent incident in March only, three adolescent girls were physically tortured by police men.
- In the above circumstances, the police officials threaten people by accusing them of any theft. They openly tell the people that 'all this stuff is lying around (the things that have been found in different places, as broken down scooters, computer pieces, etc. and are lying in the thana premises), and we can put you behind bars accusing you behind any of these robberies.
- When people are picked up for specific robberies, and being presented as the accused behind those robberies, then the supposedly stolen material is produced and the people are photographed with that.

There are some instances of children and women in the Pardhi community stealing, but this is in reference to small things of an empty paint boxes or wire mesh lying outside. There would be very few isolated incidents of 'robbery' as such, and this is not necessarily any more than any other community or class.

The manner in which members of this community are being picked up and harassed for amounts is not serving any purpose other than pushing the people further on the fringes of society.

In a recent incident (March 10th – 12th, 2007), three minor girls were illegally detained, one girl was kept in police custody for three days, humiliated, beaten up, interrogated, the children were forced to sign prior-written statements and not allowed them to meet their parents (details of the incident enclosed). The violations of the procedures within the Juvenile Justice Act are at their acutest, with the girls being beaten by belts, fists, and the baton. Abusive language and threats of

filling up the girls' vaginas with petroleum were made. The children have been forced to confess to thefts that they have not been involved in.

On Muskaan's intervening, the police told the media that we have been interfering with the law and abide with criminals and are constantly questioning them on not working as per the provisions of the Act. The police personnel also used sexually abusive language in reference to the women workers of Muskaan in front of the girls.

We urge you to urgently intervene upon the situation elaborately and concretely in the interest of human rights of all individuals living in this community. These gross violations being committed through the Department have completely eroded the faith of poor and vulnerable communities in the criminal justice system and leave no democratic spaces for pursuit of justice.

We demand that you immediately institute an inquiry into the conduct of the current case and strict action be taken against all involved in the fallouts in the case, we further demand a concrete action agenda to arrest such incidents and behavior in the area.

(Details attached)

2. The police harassment and illegal detention of adults and children If you would feel the need to interact with the adults or the children in the community, this could be arranged at a space where people do not feel threatened.

Looking forward to a sensitive response,

With regards,

The Muskaan team

Encl:

1. Letter addressed to SP, Juvenile Justice
2. Details of the current case
3. Photocopies of the media coverage

March 31, 2007

To
The Additional Director General (CID)
Juvenile Justice
Bhopal

Dear Sir,

Muskaan is a voluntary organization working in Bhopal since 1998 on the issues of urban poverty and rights and education of children. We run a common educational center and balwadis for about 750 children from 6 slums and are working with the Department of Education in 10 government schools. We have also been working on issues of health, livelihoods and credit and civic rights of these various communities.

We have been interacting with children who are rag-picking on a daily basis for the past 8 to 10 years through our non formal education programme. Our classes are run in the slums where the

children live, and also at a centralized premises. As the interactions with children have grown over the months and years, we have been witnessing their lives at close quarters and are able to see their daily efforts to meet ends, and to survive in a society that discards the poor .

We would like to bring to your notice the specific harassment of children by the police that we have witnessed through the course of our interaction with the children. We have specifically noticed that the police personnel of different police stations pick upon children and use their vulnerability and sense of insecurity to meet their own ends, of extorting money and falsely implicating children on pending or unsolved thefts.

The gross violations of the provisions of the Juvenile Justice Act at each stage go against the purpose of the Act of creating a **“child-friendly approach in the adjudication and disposition of matters in the best interest of children”**.

- the illegal detentions of the children
- the children not being put under the Special Juvenile Police Unit or the designated police officer
- the child not being presented to the Juvenile Board at all or within the stipulated time
- not informing the parents of the arrest
- the use of physical violence on children
- the mental torture of children by threats and use of abusive language
- Absence of any officer in the thanas of Kamla Nagar and T.T.Nagar with ‘aptitude and appropriate training and orientation who may be designated as the 'juvenile or the child welfare officer' or even if someone has been designated as such, then the person’s intentions need to be questioned as no-one from the police thana has intervened when the children are being meted out with violence

Beyond that, the whole high handedness, the open threats and derogatory remarks are a form of threat and coercion would go against any procedural guideline's of investigation.

We would like to present the following examples towards this point –

4. R, 14 year old boy, began his rag-picking routine at 6 in the morning with the first stop at a tea-stall. His sack was empty. He was picked up from there and Rs. 500 were demanded from his parents with the threat that if the money is not given, he will be implicated in some case of theft.
5. Three boys, T, R and M, were rag-picking in the morning near Jawahar Chowk. The T.T.Nagar thana police personnel picked up the children from there and beat them with a belt demanding confessions on where all they have done thefts. There was nothing in their sacks that was of a stolen nature. Money was demanded from parents and the children were let off after this was given at night.
6. S and L, 10 years old boys, residents of Ganga Nagar, were rag-picking in the area of Mata Mandir in early evening, when 2 police personnel from Kamla Nagar thana picked them up and pointed a pistol towards them scaring them on the pretext that they have done a robbery. One of the boys pleaded that they have not stolen anything and said he studies in Muskaan; they were let off with a (unnecessary) warning when the teacher came and intervened.
7. R, 8 year old boy, was picked up from P & T Roundabout at 2 p.m. in the afternoon. He had a sack full of the scrap things he had picked up, none of the things were of a stolen nature.

When the Muskaan worker kept questioning on why the child had been picked up, the answer given was that the incidence of thefts happening in the T.T. Nagar are increasing, and therefore this boy has been picked up. He was hit and kept in a lock-up with adult prisoners. On constant questioning, no information was given on when he would be released. On constant demanding, the boy was finally released on the second day.

8. Two boys, D and R, 11 years, were playing with empty boxes on the roadside when two police personnel of Kamla Nagar thana, stopped there. One of them slapped D on his face and asked the other to search the boy completely. When nothing was found, they took the boy to the thana, and Rs. 300 was demanded from the parents to let the boy free.
9. G, 12 years old girl, was rag-picking with two other friends in the Nehru Nagar area, when a police vehicle picked them up. The local kabadi wala to whom they often sold their stuff paid off the police people an amount of Rs. 1000 to free the girls. The girls now continue to sell their collections to him for repaying this amount.
10. R, 8 years, was rag-picking when the police vehicle stopped near him. He started running, and they caught up with him and kept him for 2 days, on the mere accusation of why was he running if he had not stolen.

As young girls who are rag-picking on the streets, the girls are more vulnerable to abuse from the people on the road. The police also do not take a stand that would protect these girls, and resort to sexual abusive language themselves.

11. G, J, 14 year old girls and L, 8 year old girl were rag-picking on Kolar Road when some boys started harassing them. They were taken to the T.T. Nagar thana and were beaten with belts. One police man stood on G's folded legs and thrashed her with a belt. Gold chains were put around the girls' necks and then they were photographed with them.
12. S, 14 year old girl, was rag-picking around the Tin shed vacated houses, when boys of the nearby locality came in and were harassing the girls. They accused them of having stolen things and to raise their skirt to prove that nothing was hidden inside. When the girls resisted doing that, the boys made further advances and the girls tried to run away. On running, they met a police man to whom they turned to for help, but were told off there also that they must have stolen things.

The names of the children are being withdrawn from this letter as there is always a threat of a backlash from the local police thana and the children do need to continue their rag-picking to meet their household needs.

In a recent incident (March 10th – 13th, 2007) where three minor girls were illegally detained, humiliated, beaten up, interrogated, the children were forced to sign prior-written statements, not allowed them to meet their parents (details of the incident enclosed), these fallouts of the procedures within the Juvenile Justice Act are at their acutest.

We recognize that many of the children being picked up belong to the Pardhi tribe, and the ease with which the police is able to extort money from the families or get away with the violations of the law with these children is because the parents are fearful of resisting the pressures as the opinion in the larger society (judiciary system, police officers, public opinion) is against them.

As rag-pickers, the children pick up things that are considered waste from all quarters, as broken materials, empty bottles, thrown items of paper, polythene, plastic, rubber, etc. They extract miniscule weights of copper, aluminum, brass from things that the consumer society does not even recognize of any value, as a broken bulb, an empty toothpaste tube, a discarded restaurant take-away box, etc. These children would sometimes take things as empty paint boxes, some pieces of wire mesh, etc. that are lying outside a house and are never involved in any theft of significant value.

Irrespective of the community one belongs to or any other fact, the Act does not allow the police to harass and exploit the children and their families in the ways this has constantly been done. All these incidents speak of being completely out of procedure, high handedness and corruption on the part of the police personnel.

We urge you to urgently intervene upon the situation elaborately and concretely in the interest of human rights of all children and in the spirit of the provisions of the Juvenile Justice Act. These gross violations being committed through the Department have completely eroded the faith of poor and vulnerable communities in the criminal justice system and leave no democratic spaces for pursuit of justice.

We demand

The immediate institution of an inquiry into the conduct of police in the current case and strict action be taken against all involved.(refer to case details March 10th attached.)

We further demand a concrete action agenda to arrest such incidents and behavior in the area.

- 1. Enforce strict implementation of the JJ act guide lines to ensure that children's rights are not violated.**
- 2. Curb the illegal detention of children**
- 3. Ensure that children are not threatened and beaten in police stations.**
- 4. Ensure that children are not implicated in false cases.**

If you would feel the need to interact with any of the children, this could be arranged at a space where the children do not feel threatened.

Looking forward to a sensitive response,

With regards,

The Muskaan team

Encl:

1. Brochure of Muskaan
2. Letter addressed to IG, Bhopal
3. Details of the current case (*included below in the section to follow*)

**The illegal detention and false implication of three girls in cases of thefts.
Details of the case (March 10th – 13th, 2007).**

Rohin d/o Prakash bai and Baayasa, a 16 year old girl and resident of the Pardhi mohalla, Rajeev nagar, Kotra Sultanabad, Bhopal was rag-picking in the morning of March 10th, 2007. In a run-down and vacated house, she found a broken tin table. These houses are used as toilets by the passers-by. More than 80% of the houses in the area have been vacated and are in a broken down condition with the original residents of the house having taken everything worthwhile from their houses, and the houses have been vacated for planned demolition.

A resident of the locality saw her pick up the thing and forcibly locked her in a car while he informed the police. He held on to her and took her to the T.T. Nagar thana at 9 in the morning. She was humiliated and interrogated by male police personnel about thefts of valuables in the area. Even as she refused and clarified that she had just picked up the worn out table and rag-picks regularly in the area, she was continuously humiliated as a 'chor' community girl. A second police man beat her with a belt and continued to pressurize her to admit to having stolen from other houses in the T.T. Nagar area.

When in the afternoon, her mother went to enquire of her, the ASI Pradeep Singh Gurjar told her that her daughter had said that her father is dead and her mother runaway, and so she cannot meet her child. (Another girl who was rag-picking with Rohin had informed that her daughter had been picked by the police). After much insistence, she was taken to the back room where Rohin was kept and both mother and child were insulted with derogatory abuses, and Rohin was beaten up in front of her mother. She was not allowed to go back with her mother. She was interrogated till late night and pressurized to tell names of her 'accomplices'.

Continuous physical torture and abusive language and threats of filling petroleum in her vagina 'teri gaand mein petrol bhar dunga' and beating her up with every reply that she had not stolen and there were no accomplices continued over till the night of the next day. She was forced to stay at the thana on this first night. Afraid and helpless, and with no other way out, Rohin gave names of two other children in her basti.

The police along with Rohin went to pick up these children at 11.30 in the night of March 11th. They found that the names Rohin had taken were of two very small girls aging 7 – 8 years (girls whom she more friendly with), and decided to pick up the elder sisters of the two earlier named girls. Sandishna, 11 years d/o Daay Singh and Hanis Bai and Tinti Bai, 14 years d/o Lalitabai and Khilan Singh from their homes. The children were sleeping and the police forced them into the jeep paying no heed to the protesting parents. The parents were told off saying if you come to the thana we'll hold you up too. Tinti Bai was slapped in the jeep. When the girls asked where they were being taken, they were answered 'your house', 'our house is here', 'your second house'. They were taken to mahila thana and asked to sleep there.

Muskaan runs an educational centre in the community and Sandishna, Rohin and Tintibai have been associated with our activities among girls. When the Muskaan teacher reached the basti on Monday morning, he got news of the children being forcibly taken away. When the Muskaan team enquired from the T.T. Nagar thana, no information was given. Information that the children could be in mahila thana was received through a separate source. The children were present at the mahila thana, but the personnel there did not have any information about the reason for their detention. Muskaan team members along with the parents of all three children then went to the TT Nagar Thana when the girls were sent to the thana in the morning (on March 12th) around 10 a.m. When the NGO workers enquired from the T.I. that the children could not be detained thus

and why were they picked up in the middle of the night, he said it was routine and we must not aid the culprits.

The children were brought to the thana and locked up in a small room and their cries of pain could be heard till outside where their parents and the Muskaan workers were standing. We protested at their being interrogated without their guardians and their being beaten up.

The girls were being pressurized to confess to crimes they were not part of. They have been rag picking but not been involved in robberies of gold and silver or any form of jewelry. The children later also detailed how they were beaten with a baton, fists and a belt. Sandishna was beaten on her feet and feet knuckles with a baton. When Tinti Bai started crying, she was called 'Ma ki lorhi, tu roti hai'. This abusive language was used repeatedly. After repeated hitting and constant accusations of stealing bangles and chains, the girls signed pre-prepared testimony papers.

Even as all of us were protesting, the children were taken away in a jeep at about 12 pm, and their whereabouts not revealed.

The children later described that one of them, Tinti Bai, was dropped off at some other police station on the way and was made to wait there while two of them, Rohin and Sandishna were taken to old city. They were asked to name the shop where they had sold the stolen materials and because they couldn't produce any name, and then were asked to point out which of the shops they had sold the stuff to. With the police man not stopping hitting at her feet, Rohin asked Sandishna in her own language to point out towards any shop, to be at least freed from the present torture.

At 3 pm ASI Pradeep Singh Gurjar was contacted on his mobile and he said that the children had been taken for identification of the stolen materials and the children had identified a shop and shall be brought to the District Court. We insisted on the phone that the children are under pressure and it is neither fair nor legal to force them into identification etc, but the ASI maintained that we must not side with such criminals and we can meet them at the court.

At the District court, police personnel surrounded the children and deterred them from talking to any of their parents or the Muskaan workers. After much searching in the court, the T.T. Nagar thana personnel were seen obtaining signed orders from the staff of one judge; when enquired, the clerk informed that the children had been sent for judicial custody to the remand home. When the actual conditions of the case were presented by the parents, the clerk in that judge's room informed that the full information of the case was not given to the judge and the impression given in the court was that the parents were not around in the court, and the children had confessed to the thefts in the thana in the presence of the parents. He advised that the Muskaan team and the parents should give the correct information to the judge.

When the Judge was told the matter, and it was pleaded that the children have been illegally detained and the parents should be given custody, the judge was sympathetic. Upon application, the judge gave the parents the custody of the children.

However in this meanwhile, the police hurriedly obtained the earlier order and forcibly took away the children in a running ready jeep from the court premises. As the children had been visibly very scared, the parents and the Muskaan team went straight away to take the custody of the children to Vidisha Kishori Balika Grah but as it was already evening, the formalities could not be carried out, and the children were released only the next day morning (i.e. March 13th).

When we met the children, they shared how the police had forced them to identify a shop in the jewellers market the preceding day and threatened them to accept the crime in court. When they were being forcibly taken to Vidisha they had said '*tumhari didiyon ki gaand se badbu aati hai.Saali. vo hi tumhe chori karne ko bolti hain*'.*tumhare maa baap sale chor hain sa.*'

When we were leaving the court premises on March 12th, a policeman from TT Nagar thana had approached Prakash bai, mother of Rohin and said,'*ab aana tum log P&T ke is paar batate hain tumko. Tumhari inhi didiyon ke ghar chori karvayenge aur tumhara naam rakehnge.*'. The childrens case has been referd to the juvenile board.

परिशिष्ट 4:

अन्य जानकारी के लिए सूत्र

Articles and Reports

Dionne Bunsha 'The plight of the Pardhis' Frontline Volume 18 - Issue 23, Nov. 10 - 23, 2001.
Available at: <http://www.hinduonnet.com/fline/fl1823/18230480.htm>

Dr.Meena Radhakrishna 'Report on the incident involving Pardhis, M. P.'. Available at:
<http://hindtoday.com/Blogs/ViewBlogsV2.aspx?HTAdvtId=972&HTAdvtPlaceCode=IND755MADHYAP>

National Human Rights Commission 'Harassment of denotified and nomadic tribals belong to Pardhis community in Bighwan village, Pune, Maharashtra' Case No.512/13/98-99. Available at:
<http://nhrc.nic.in/DalitCases.htm#no3>

Mahasweta Devi, 'Independence has failed' Available at:
<http://www.rediff.com/news/dec/24devi.htm>

G. N. Devi 'The Branded Tribes of India' PUCL Bulletin, September 1998. Available at:
<http://www.pucl.org/from-archives/Dalit-tribal/branded-tribes.htm>

Dilip D'Souza 'Declared Criminal at Birth; India's "Denotified Tribes"' Manushi, Issue 123.
Available at: <http://www.indiatogether.org/manushi/issue123/tribe.htm>

Websites specific to the issue of Denotified Tribes

<http://noborncriminals.blogspot.com/2008/01/gujjar-denotified-tribe.html>

<http://hoochandhamlet.com>